बाबा साहेब
डॉ. भीमराव अम्बेडकर
और मानवता
ओम प्रकाश खोरवाल

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और मानवता

ओम प्रकाश खोरवाल

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और मानवता

Baba Sahab Dr. Bhimrao Ambedkar and Huminity

दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केन्द्र

Divya Prerak Kahaniya Humanity Reserch Center

—: शोधार्थी :—

ओम प्रकाश खोरवाल

Registration No. - HR/369/101

Date 30/07/2025

मानवता में व्यावहारिक अनुसंधान के उपरांत प्रस्तुत शोध प्रबंध

अनुसंधान का विषय:-

"बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और मानवता"

शोधार्थी का नाम:- **ओम प्रकाश खोरवाल**

पंजीयन संख्या :- **HR/369/101 Date 30/07/2025**

शोधार्थी का पता:- आशियाना ग्रीन कॉलोनी,
पांचवा रोड़, कुचामन सिटी,
जिला- डीडवाना-कुचामन
राजस्थान पिन -341508

शोध पर्यवेक्षक :- **डॉ. प्रकाश चन्द टेलर**
वरिष्ठ शिक्षाविद् एंव केरियर काउंसलर
कुचामन सिटी (राजस्थान)

दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केन्द्र

DIVYA PRERAK KAHANIYAN HUMINITY RESEARCH CENTER

An ISO 2100:2018 Certified Rearch Institution
Regd. No. 04/36/2023, ITA-1882, Govt. of India
Thekma, Azamgarh , Uttar Pradesh

आभार

" **बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और मानवता** " विषय पर इस शोध कार्य को प्रस्तुत करने में मुझे अनेक व्यक्तियों, ग्रन्थों और मार्गदर्शकों से प्रेरणा एंव सहयोग प्राप्त हुआ, जिनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

सर्वप्रथम, मैं भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न, महान विधिवेता, महान समाज सुधारक, मानवतावादी चिंतक, दलितों के मसीहा, सामाजिक न्याय के अग्रदूत, आधुनिक भारत के शिल्पकार, लोकतन्त्र के प्रहरी, समानता के पुजारी, मानव अधिकारों के समर्थक, महान शिक्षाविद्, क्रान्तिकारी विचारक, प्रखर बुद्धिजीवी, राष्ट्र निर्माता, युगद्रष्टा, समाज परिवर्तन के वाहक, बौद्ध पुनर्जागरण के प्रवर्तक, प्रेरणा स्रोत, पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर को सादर शत्–शत् नमन करता हूँ , जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान प्रकाश से सम्पूर्ण मानव जाति को आलोकित किया । जिनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि हमें निजी जीवन तक ही सीमित नहीं रह कर मानवता की स्थापना के लिए कार्य करना चाहिए।

मैं अपने मार्गदर्शक डॉ. प्रकाश चन्द जी टेलर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस शोध कार्य की दिशा निर्धारित करने में अपना अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया।

मैं विशेष रूप से डॉ. प्रोफेसर अजीत कुमार जी जैन साहब का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होने इस शोध कार्य का विस्तृत कलेवर तैयार करनें में मुझे अतुलनीय सहयोग प्रदान किया ।

मैं डॉ. अभिषेक कुमार जी (मुख्य प्रबंध निदेशक, दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केन्द्र) का हृदयपूर्वक आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होने मुझे इस शोध कार्य हेतु मंच और प्रेरणादायक अवसर प्रदान किया।

मैं डॉ. संजय कुमार जी भार्गव (प्राचार्य एंव पदेन पंचायत प्रा. शिक्षा अधिकारी, मीठड़ी) का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस शोध कार्य के प्रिंट की प्रूफ रीडिंग कर भाषा एंव लेखन शैली को सुधारने में अमूल्य सहयोग प्रदान किया।

अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस शोध कार्य के दौरान हर प्रकार का नैतिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान किया। विशेष रूप से अपनी पत्नी श्रीमती रूकमा खोरवाल, पुत्र शिवम् खोरवाल और हर्षित खोरवाल, अन्य परिवारजन एंव मित्रों का आभारी हूँ जिनकी प्रेरणा और सहयोग से यह कार्य संभव हो पाया।

इस शोध कार्य की पूर्णता पर मैं श्री ओम प्रकाश जी कांसोटिया (समाजसेवी एंव अम्बेडकरवादी विचारक) के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी एवं सामाजिक न्याय संबंधी विचारों से परिचित कराकर, शोध हेतु प्रेरणा प्रदान की तथा विभिन्न साहित्यिक एवं वैचारिक सामग्री उपलब्ध करवाकर महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

इस शोध कार्य की पूर्णता में स्व. श्री खींवकरण जी डबरिया (वरिष्ठ समाजसेवी एंव अम्बेडकरवादी चिंतक) का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से परिचित कराकर, शोध हेतु प्रेरणा, साहित्य एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। शोध पूर्णता से ठीक पहले उनका स्वर्गवास मेरे लिए अत्यंत दुःखद एवं मन को उद्वेलित करने वाला है। मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।

मैं उन सभी विद्वानों, लेखकों और शोधकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिनके ग्रन्थ, शोध–पत्र और आलेख, इस कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। उनकी बौद्धिक धरोहर नें इस शोध को सुदृढ आधार प्रदान किया।

अंत में, मैं उन विद्वान पाठकों, शोधकर्ताओं और विद्वानों का आभार व्यक्त करता हूँ, जो इस विषय में रूचि रखते हैं और ''बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और मानवता'' के मूल्यों को समझने के लिए तत्पर है।

शोधार्थी

ओम प्रकाश खोरवाल

HR/369/101 Date 30/07/2025

शोधार्थी घोषणा पत्र

मैं ओम प्रकाश खोरवाल (शोधार्थी, दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केन्द्र) यह प्रमाणित करता हूं कि प्रस्तुत शोध प्रबंध " **बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और मानवता** " जो व्यावहारिक अनुसंधान का मूल भाग है तथा अप्रकाशित है । इस शोध प्रबंध को डॉ. श्री प्रकाश चन्द टेलर (वरिष्ठ शिक्षाविद् एंव कॅरियर काउंसलर) के मार्गदर्शन में मैंने पूरा किया है । मैं यह घोषणा करता हूं कि इस शोध कार्य में किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा इससे पहले किसी अन्य डिग्री डिप्लोमा के लिये उपयोग नहीं किया गया है। यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैने अपना अनुसंधान कार्य '**दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केन्द्र**' द्वारा प्रतिपादित सभी नियम व निर्देशों के तहत पूर्ण किया है।

दिनांक :– 29-05-2026

शोधार्थी के हस्ताक्षर

ओम प्रकाश खोरवाल

HR/369/101 Date 30/07/2025

पर्यवेक्षक घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केन्द्र अन्तर्गत **"बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और मानवता"** विषय पर शोधार्थी ओम प्रकाश खोरवाल पंजीयन संख्या :– HR/369/101 Date 30/07/2025 द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुसंधान मूल व अप्रकाशित भाग है। इनके द्वारा मेरे निर्देशन में यह शोध कार्य किया गया है एंव शोध प्रबंध साहित्यिक चोरी रहित, बहुत ही उत्कृष्ट है तथा शोध प्रकाशन के उपयुक्त है।

वर्तमान में यह व्यावहारिक अनुसंधान कार्य समाज में सामाजिक समरसता , आपसी एकता, प्रेम, सहयोग, परोपकार तथा नैतिकता, मानवता युक्त सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में अति महत्त्वपूर्ण साबित होगा। इस तरह का अनुसंधान कार्य करना, अनुसंधानकर्ता की कार्य कुशलता व सच्ची मानवता के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शोधार्थी नें अपना अनुसंधान कार्य **'दिव्य प्रेरक कहानियाँ मानवता अनुसंधान केन्द्र'** द्वारा प्रतिपादित सभी नियम व निर्देशों के तहत पूर्ण किया है ।

दिनांक :– 29·05·2026 पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम :– डॉ. प्रकाश चन्द टेलर

पद नाम – वरिष्ठ शिक्षाविद् एंव कॅरियर काउंसलर

पता – कुचामन सिटी (राजस्थान)

शोध का उद्देश्य (Objectives)

'डॉ. भीमराव अम्बेडकर और मानवता' विषय पर शोध का चयन आज के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक है। मानवता का मूल आधार समानता, न्याय, करूणा, और परस्पर सहयोग है। भारतीय समाज सदियों सें जातिगत असमानताओं, छुआछूत और शोषण की परम्पराओं से ग्रस्त रहा है। ऐसे समय में डॉ. अम्बेडकर ने मानवता की सच्ची व्याख्या प्रस्तुत करते हुए एक ऐसे समाज की कल्पना की, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो।

इस शोध का उद्देश्य डॉ. अम्बेडकर के जीवन, विचार और कार्यों के माध्यम से यह समझना है कि उन्होने मानवता की अवधारण को किस प्रकार व्यावहारिक रूप प्रदान किया। अम्बेडकर केवल दलितों वंचित वर्गों के नेता नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी चिंतक, संविधान निर्माता और मानवतावादी थे, जिन्होने पूरे समाज को नई दिशा दी। उन्होंने स्वतंत्रता, समता, और बंधुत्व के त्रिविध मूल्यों के आधार पर एक न्यायपूर्ण और मानवतावादी समाज का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त किया।

इस शोध का मूल उद्देश्य –

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत मानवीय मूल्यों एंव आदर्शों की व्याख्या करना।
2. उनकी शिक्षा, विचारों और कार्यों का समाज पर प्रभाव को समझना।
3. उनका योगदान केवल दलितों तक सीमित नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति के लिए है, का सम्प्रत्य स्पष्ट करना।
4. मानवता के विकास में इनकी भूमिका को आधुनिक दृष्टिकोण से विश्लेषित करना।

शोध की महत्ता (Significance of the Study)

इस शोध की महत्ता इस बात में निहित है कि आज भी सामाजिक भेदभाव, असमानता, लिंग आधारित हिंसा और अन्याय की घटनाएं प्रचलित है। ऐसे मे अम्बेडकर के विचार केवल ऐतिहासिक न होकर वर्तमान समय के लिये भी मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। उनके विचारों का अध्ययन हमें बताता है कि मानवता केवल दार्शनिक चिंतन का विषय नहीं, बल्कि जीवन की व्यावहारिक आवश्यकता है।

इस शोध की सीमा मुख्यतः डॉ. अम्बेडकर के मानवतावादी दृष्टिकोण , उनके सामाजिक सुधारों, संविधान निर्माण में उनके योगदान, महिलाओं और वंचित वर्गों के प्रति उनकी संवेदनशीलता तथा शिक्षा को समाज में परिवर्तन का साधन मानने की उनकी धारणा पर केन्द्रित रहेगी। साथ ही यह शोध अम्बेडकर के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता को भी स्पष्ट करेगा।

समीक्षात्मक अध्ययन (Review of Literature)

शोध की कार्यप्रणाली के अन्तर्गत प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। इसमे अम्बेडकर की रचनायें, भाषण, संविधान सभा की कार्यवाही, उनके द्वारा लिखित पुस्तकें, उन पर लिखे गये शोध ग्रन्थ और आलेख शामिल होंगें। साथ ही आधुनिक समय के सामाजिक परिदृश्य से उदाहरण लेकर अम्बेडकर के विचारों की उपयोगिता को समझने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही ऑनलाइन व डिजिटल स्रोतों के माध्यम से डॉ. भीमराव अम्बेडकर और मानवता के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जायेगा।

अतः ये शोध न केवल अम्बेडकर के जीवन और विचारों को समझने का प्रयास होगा, बल्कि यह मानवता की उस सार्वभौमिक अवधारणा की खोज भी है, जिसे वे अपने जीवनपर्यंत जीते और समाज को प्रदान करते रहे।

शोध प्रश्न (Research Questions)

1. डॉ. अम्बेडकर के विचारों में मानवता की अवधारणा क्या थी ?
2. डॉ. अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय की स्थापना मानवता की सच्ची अभिव्यक्ति कैसे है ?
3. सामाजिक न्याय की स्थापना में डॉ. अम्बेडकर के विचारों की क्या भूमिका रही ?
4. डॉ. अम्बेडकर के मानवतावाद का आधुनिक समाज और भारतीय लोकतन्त्र पर क्या प्रभाव पडा ?
5. महिलाओं के अधिकारों को लेकर डॉ. अम्बेड़कर का दृष्टिकोण मानवता के किन पहलुओं को उजागर करता है ?
6. जाति व्यवस्था के विरोध में डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण किस प्रकार मानवतावादी था ?
7. क्या अम्बेडकर का मानवतावादी दृष्टिकोण केवल दलित समाज तक सीमित था, अथवा सम्पूर्ण मानव समाज के लिए था ?
8. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में डॉ. अम्बेडकर के मानवतावादी शिक्षा दर्शन की क्या उपयोगिता है ?
9. बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पिछे डॉ. अम्बेडकर की मानवतावादी सोच क्या रही ?

> **''बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्त्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।''**
>
> — डॉ. भीमराव अम्बेडकर —
>
> **(The Buddha and His Dhamma)**

भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर

(14 अप्रेल 1891 – 06 दिसम्बर 1956)

अनुक्रमणिका (Table of contents)

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	**प्रस्तावना**	**14-15**
2	**मानवता का दार्शनिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य**	**16**
2.1	मानवता की संकल्पना	17
2.2	भारतीय परम्परा में मानवता	17-18
2.3	पाश्चात्य परंपरा मे मानवता	18
2.4	आधुनिक युग में मानवता का स्वरूप	19
3	**डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय**	**20**
3.1	प्रारम्भिक जीवन और शिक्षा	20-21
3.2	सार्वजनिक जीवन और सामाजिक संघर्ष	21-22
3.3	राजनीतिक योगदान	23
3.4	धर्म और बौद्ध धर्म की और झुकाव	23-25
3.5	अन्तिम जीवन और योगदान	25-26
3.6	डॉ. भीमराव अम्बेडकर : जीवन यात्रा – एक नजर में	26-29
4	**अम्बेडकर का मानवतावादी दृष्टिकोण**	**30**
4.1	समानता और सामाजिक न्याय की अवधारणा	30-31
4.2	अस्पृश्यता, जातिवाद और अंधविश्वास के विरोध में विचार	31-32
4.3	स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धान्त ,	33-34
4.4	अम्बेडकर का सकारात्मक मानवतावाद	34-36
5	**धर्म और मानवता के संदर्भ में अम्बेडकर**	**37-38**
5.1	हिन्दू धर्म पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण,	38-39
5.2	धर्म का वास्तविक उद्देश्य	40-41
5.3	बौद्ध धर्म का स्वीकार और उसका मानवतावादी आधार	41-42
5.4	धर्म और सामाजिक परिवर्तन	42-44
5.5	मानवता के साथ धर्म का समन्वय	44-45
6	**संविधान निर्माण में अम्बेडकर का योगदान और**	**46-47**
6.1	मौलिक अधिकार और समानता	47-51
6.2	सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय	52-54
6.3	कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण	54-57
6.4	लोकतंत्र और बंधुत्व	57-59
6.5	मानवता की दृष्टि से संविधान	59-63

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
7	**महिला सशक्तिकरण और मानवता**	**64-66**
7.1	अम्बेडकर के महिला सम्बंधी विचार	66-67
7.2	कानून और सुधारों में योगदान	68-70
7.3	महिलाओं की समानता की दिशा में प्रयास	70-72
7.4	मानवता और महिला अधिकार	72-74
8	**शिक्षा और मानवता**	**74-76**
8.1	अम्बेडकर का शिक्षा दर्शन	76-77
8.2	शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन	77-79
8.3	वंचित वर्गों के लिए शिक्षा का महत्त्व	79-80
8.4	मानवता और शिक्षा का संबंध	80-82
9	**अम्बेडकर और आधुनिक मानवतावाद**	**82-85**
9.1	लोकतंत्र और मानव अधिकार	85-87
9.2	सामाजिक समरसता और वैश्विक दृष्टि	87-90
9.3	समकालीन समाज में अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता	90-92
9.4	आधुनिक मानवतावाद की विशेषताएँ	93-94
9.5	मानवता के लिए अम्बेडकर का योगदान	95-96
9.6	भविष्य के लिए मार्गदर्शन	97-98
10	**शोध का सार / निष्कर्ष**	**99-101**
11	**संदर्भ सूची / ग्रंथ सूची**	**102**
12	**Annexure / परिशिष्ट**	**103-106**

" राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता, जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। "

— डॉ. भीमराव अम्बेडकर —

(Annihilation of Cast)

अध्याय 1 :– प्रस्तावना

भारत के महान चिंतक, विधिवेत्ता, समाज सुधारक तथा भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन और विचारों के माध्यम से मानवता, समानता, न्याय और बन्धुत्व का जो संदेश दिया, वह केवल भारत ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें मनुष्य का मूल्य उसकी जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म से नहीं, बल्कि उसके गुण, कर्म और मानवता से निर्धारित होता हो।

भारतीय समाज में सदियों से व्याप्त जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और शोषण के विरूद्ध बाबा साहेब का संघर्ष केवल किसी एक वर्ग के अधिकारों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सम्पूर्ण मानव समाज को सम्मान और अवसर प्रदान करने का आन्दोलन था। उनका जीवन इस सत्य का प्रतीक है कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन सम्भव है। उन्होंने वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्गों को आत्मसम्मान का मार्ग दिखाया तथा लोकतन्त्र को सामाजिक न्याय से जोड़ कर उसकी वास्तविक परिभाषा प्रस्तुत की।

''बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और मानवता'' विषय पर यह शोधग्रन्थ उनके मानवीय दृष्टिकोण, सामाजिक दर्शन, तथा मानव कल्याण के लिए किए गये कार्यों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस शोध का उद्देश्य केवल अम्बेडकर के राजनीतिक अथवा संवैधानिक योगदान विश्लेषण करना मात्र नहीं है, बल्कि उनके विचारों मे निहित मानवता, करूणा, समानता और सामाजिक समरसता के मूल तत्त्वों को समझना भी है।

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है, जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, शिक्षा और सम्मान प्राप्त हो। उन्होंने महिलाओं, श्रमिकों, दलितों तथा अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक सामाजिक और कानूनी

प्रयास किए। उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की दिशा में मार्गदर्शक हैं।

यह शोध ग्रन्थ बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष, विचारधारा और मानवता के प्रति उनके योगदान का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास है। आशा है कि यह अध्ययन न केवल विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, बल्कि समाज में मानवता, समानता और बंधुत्व की भावना को भी सुदृढ़ करने में सहायक बनेगा।

" मनुष्य की महानता उसके मानवता के प्रति किए गए कार्यों से आँकी जाती है। "

डॉ. भीमराव अम्बेडकर...

अध्याय 2 :– मानवता का दार्शनिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

मानवता एक ऐसी सार्वभौमिक अवधारणा है, जो सभी मनुष्यों के प्रति करूणा, समानता और बंधुत्व की भावना को व्यक्त करती है। यह केवल सामाजिक संबंधों का आधार ही नहीं, बल्कि जीवन की नैतिकता और सभ्यता की आत्मा भी है। मानवता को मानव जीवन का श्रेष्ठतम गुण कहा जा सकता है। मानवता की भावना ही है, जो मनुष्य को एक–दूसरे के सुख–दुःख को समझने और उनकी सहायता करने तथा स्नेहिल व्यवहार करने को प्रेरित करती है। केवल मनुष्य होना मात्र ही मानवता का अर्थ नहीं माना जा सकता अपितु मनुष्य में प्रेम, दया, सहानुभूति, करूणा और सेवा का भाव होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सभी को रंग, वर्ग ,जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठ कर एक समान नजर से देखता है, सही मायनो में उसी व्यक्ति के भीतर मानवता का वास होता है ।

वर्तमान आधुनिक समय में विज्ञान और तकनीकी का बहुत विकास हुआ है लेकिन इस विकास के साथ यदि मानवता की भावना में कमी आती है, तो यह विकास अधूरा रह जाता है। हमारे आसपास समाज में निरन्तर बढती हुई ईर्ष्या, स्वार्थ, हिंसा और भेदभाव समाज में मानवता के पतन को दर्शाते हैं। किसी भूखे जीव के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करना, बीमार की सेवा और गरीब, असहाय, जरूरतमंद की मदद करना ही मानवता के श्रेष्ठ उदाहरण है।

हमारे महापुरूषों और सन्त–महात्माओं ने मानव जीवन का सर्वोच्च धर्म मानवता को ही माना है। डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन में समता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय के माध्यम से मानवता का संदेश देकर समाज के पीड़ित, शोषित ओर वंचित वर्गों को सम्मान पूर्वक जीवनयापन का अधिकार दिलवाने के लिए संघर्ष किया ।

2.1 मानवता की संकल्पना

मानवता का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान रूप से देखना, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के भेदभाव के। यह विचार करूणा, सहानुभूति और सहयोग पर आधारित है। मानवता का आधार यह मान्यता है कि हर व्यक्ति जन्म से गरिमा और सम्मान का अधिकारी है। मानवता केवल शब्द मात्र न होकर एक ऐसा जीवन–दर्शन है, जो मानव को मानव से जोड़ता है।

मानवता की परिकल्पना का केंद्र बिन्दु समता, स्वतन्त्रता और बंधुत्व की भावना है। जब कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ की भावना और उद्देश्य से परे किसी अन्य के दुःख को अपना दुःख समझने लगता है तभी सही मायनों में मानवता का मूल स्वरूप प्रकट हो पाता है। किसी भूखे–प्यासे प्राणि को भोजन और जल उपलब्ध करवाना, रोगी प्राणी की सेवा शुश्रुषा कर उपचार की व्यवस्था करना, बेसहारा और असहाय प्राणि मात्र का सहारा बनना, भेदभाव मिटा कर लोगों के बीच समानता का भाव उत्पन्न करना आदि समस्त प्रकार के कार्य मानवता के जीवंत उदाहरण है ।

2.2 भारतीय परम्परा में मानवता

भारतीय सभ्यता और परम्परा का मूल मन्त्र विश्व बंधुत्व, करूणा ओर मानवता रहर है । प्रचीन भारतीय संस्कृति में **"वसुधैव कुटुम्बकम"** और **"सर्वे भवन्तु सुखिनः"** जैसे आदर्श मानवता की भावना को प्रकट करते है, जिसका अर्थ है – **"सम्पुर्ण विश्व एक परिवार है"** और **" विश्व के समस्त प्राणी सदैव स्वस्थ और सुखी रहै।"** सभी को अपना परिवार मानते हुए स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने की भावना ही भारतीय मानवता की सबसे बड़ी पहचान है ।

भारतीय परम्परा में सेवा और अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसीलिए **"अहिंसा परमोः धर्म"** कहा गया है। **"नर सेवा–नारायण**

सेवा" और "**अतिथि देवो भवः**" की संकल्पना हमें मानव मात्र की सेवा , गरीबों की सहायता, अतिथि सत्कार का संदेश देती है। ये सभी मानवता के ही व्यापक रूप है। भारतीय परम्परा में वृक्षों और नदियों की पूजा को भी विशेष स्थान दिया गया है जो मानव और प्रकृति के मध्य गहरा संबंध स्थापित करता है जो वर्तमान समय के पर्यावरणीय संकट के संदर्भ में भी अत्यंत प्रासंगिक है ।

उपनिषदों और बौद्ध धर्म में करूणा, दया और अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। संत कबीर, गुरू नानक, संत रविदास और महात्मा गांधी जैसे संत–समाज सुधारकों ने भी जाति, धर्म, अमीर–गरीब, ऊंच–नीच की भावना से ऊपर उठ कर समानता और मानवता संदेश दिया। संत कबीर नें कहा है कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म और ज्ञान से होती है न कि उसके जन्म से। यही विचारधारा भारतीय मानवतावादी दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करती है। किंतु सामाजिक व्यवहार में जातिवाद, अस्पृश्यता और ऊँच–नीच की परम्परायें गहरी जड़ें जमाए रही है, जिस कारण मानवता की संकल्पना को व्यवहार में लाना कठिन रहा है।

2.3 पाश्चात्य परंपरा मे मानवता

पश्चिमी चिंतन में मानवता की अवधारणा प्राचीन यूनानी दार्शनिकों से लेकर आधुनिक मानवाधिकारों तक विकसित हुई। अर्थात् पाश्चात्य परम्परा में मानवता की अवधारणा एक लम्बी बौद्धिक यात्रा का प्रतिफल माना जा सकता है। प्लेटो और अरस्तु ने नैतिकता और न्याय तथा सामाजिकता पर बल दिया, जबकि ईसा मसीह ने प्रेम और करूणा को मानवता का आधार माना। आधुनिक युग में पुनर्जागरण और फ्रांसीसी क्रान्ति नें 'स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व' को मानवता की धुरी बनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार घोषणापत्र (1948) ने भी प्रत्येक मनुष्य को समान अधिकारों का अधिकारी मानते हुए यह सिद्धान्त दिया कि समस्त मानव जन्मजात स्वतंत्र और एक समान है ।

2.4 आधुनिक युग में मानवता का स्वरूप

वर्तमान में मानवता का स्वरूप केवल दया, करूणा और सहानुभूति नैतिक आदर्शों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक न्याय समानता, स्वतंत्रता, मानव की गरिमा बंधुत्व और राजनीतिक व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में विचार–विमर्श का केन्द्र बन चुका है। विज्ञान, तकनीकी और वैश्वीकरण के इस आधुनिक काल में मानव ने निश्चित रूप से भौतिक प्रगति की है, लैकिन इस भौतिक प्रगति के साथ ही सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव, आर्थिक असमानता और अनैतिकता जैसी चुनौतियों में भी बढोतरी हुई हैं। मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक व्यवस्था– ये सभी आधुनिक मानवता का ही निरूपण है, लेकिन फिर भी नस्लवाद, जातिवाद, आर्थिक विषमता और युद्ध जैसे संकट मानवता के आदर्शों को चुनौती देते रहते हैं।

मानवता का दार्शनिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यह स्पष्ट करता है कि यह विचार कालातीत और सार्वभौमिक है। भारत और विश्व के चिंतकों ने समय–समय पर मानवता की व्याख्या की और समाज को दिशा दी। किंतु वास्तविक चुनौती इसे व्यवहार में उतारने की रही है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसी ऐतिहासिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि में मानवता को नए रूप में प्रस्तुत किया।

आधुनिक युग में मानवता को मानवाधिकारों के रूप में जाना जा सकता है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, अभिव्यक्ति का अवसर और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। अम्बेडकर नें मानवता की इसी आधुनिक अवधारणा को भारतीय संविधान के माध्यम से मूर्त रूप दिया ।

अध्याय 3 :– डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन का प्रेरणादायी उदाहरण है। उनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्यप्रदेश के महु नगर (वर्तमान डॉ. अम्बेडकर नगर) में एक महार जाति के परिवार में हुआ। उस समय भारतीय समाज गहरे जातिगत भेदभाव और छुआछूत से ग्रस्त था। बचपन से ही अम्बेडकर ने अस्पृश्यता और सामाजिक तिरस्कार का अनुभव किया, जिसने उनके जीवन की दिशा निर्धारित की। उन्होंने अपना पूरा जीवन समानता, सामाजिक न्याय, शिक्षा और मानवाधिकारों के लिए समर्पित किया। वे केवल संविधान निर्माता ही नही, बल्कि दलितों, महिलाओं, मजदूरों और वंचित वर्गों के सबसे बड़े अधिकार रक्षक थे। उनका जीवन संघर्ष, विद्वता और क्रांति का अद्भुत उदाहरण है।

3.1 प्रारम्भिक जीवन और शिक्षा

अम्बेडकर बचपन से ही मेधावी छात्र थे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प लिया। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई धार्मिक तथा संस्कारवान महिला थी। अपने पिता और गुरु के सहयोग से उन्होनें स्कूल की पढ़ाई पूरी की। मुंबई के एलफिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश उनके जीवन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है क्योंकि वे अपनी जाति के उन गिने–चुने विद्यार्थियों में से एक थे जिन्हे उस समय ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। विद्यालय में उन्हें अन्य छात्रों से अलग बैठाया जाता था, पानी का बरतन छूने तक की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्होंने इन परिस्थितियों को अपनी प्रगति में कभी रूकावट नहीं बनने दिया।

1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। जो तात्कालिक समय के दलित समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तत्पश्चात् 1908 में उन्होंने मुंबई के ही एलफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश

लिया। 1912 में उनके द्वारा बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की बाद में 1913 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की छात्रवृत्ति से वे उच्च शिक्षा के लिये अमेरिका और इंग्लैण्ड गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय (अमेरिका) से उन्होनें राजनीति विज्ञान में एम. ए. और पी एच. डी. की उपाधि प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होने एम.एससी. (इकोनॉमिक्स) और डी.एससी. (इकोनॉमिक्स) की पढाई की। उनका प्रसिद्ध शोध विषय था '' The Problem of the Rupee : Its Origin and Its Solution '', तथा ग्रे'ज इन कॉलेज, लंदन (UK) से कानून की पढाई कर बैरिस्टर की उपाधि हासिल की । इस प्रकार अम्बेडकर ने अपने युग में सर्वाधिक उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक अद्वितीय स्थान बनाया। उनकी शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम ही न होकर समाज के शोषित और वंचित पिछड़े वर्गों के उत्थान का सशक्त साधन भी बनी ।

डॉ. अम्बेडकर का प्रारम्भिक जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन्हे शिक्षा, कठोर परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर पराजित किया जा सकता है। बाबा साहेब ने अपने जीवन से हमें यह संदेश दिया कि शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का सशक्त साधन है और आत्मसम्मान का सबसे बडा रक्षक है ।

3.2 सार्वजनिक जीवन और सामाजिक संघर्ष

शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर नें अपना जीवन भारतीय समाज में समानता, सामाजिक न्याय, मानव गरिमा की स्थापना और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने निजी जीवन में जातिगत भेदभाव, अपमान और छुआछूत जैसे दंश को झेला, परन्तु इन कठिन अनुभवों को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए शक्तिशाली साधन बना लिया। उन्होंने अस्पृश्यों और वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष छेड़ा।

शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटने के बाद बाबा साहेब ने शोषित वंचित वर्गों के हक अधिकारों के लिए संगठित रूप से कार्य करना प्रारम्भ किया। वर्ष 1924 में उन्होंने **'बहिष्कृत हितकारिणी सभा'** की स्थापना की जिसका उद्धेश्य दलित, शोषित, और पिछड़े समाज में सामाजिक जारुकता, शिक्षा का प्रसार और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना था । उनके द्वारा **''समता सैनिक दल''** और **''निर्माण समाज''** जैसी संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक आन्दोलन चलाए गए। अम्बेडकर का सामाजिक संघर्ष मुख्य रूप से जातिवाद और छुआछूत के विरूद्ध रहा। 1927 में उनके द्वारा महाड़ के चावदर तालाब पर महाड़ सत्याग्रह किया गया जो उनके संघर्ष का ऐतिहासिक अध्याय रहा। इस आन्दोलन के माध्यम से बाबा साहेब ने दलितों को सार्वजनिक जलस्रोतों से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिये आवाज उठाई । यह आन्दोलन केवल पानी का नहीं था, अपितु मानव सम्मान ओर समान मानव अधिकारों का था। इसी आन्दोलन के दौरान उनके द्वारा मनुस्मृति का दहन कर सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। इसके बाद उनके द्वारा 1930 में नासिक का कालाराम मन्दिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य दलितों को धार्मिक स्थलों में प्रवेश का अधिकार दिलाना था। यह आन्दोलन न केवल सामाजिक समानता अपितु धार्मिक स्वतंत्रता का द्योतक बना। डॉ. अम्बेडकर का संघर्ष केवल दलित समुदाय तक सीमित नहीं था, उनके द्वारा महिलाओं, श्रमिकों, किसानों और समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए था। जो मानवता की स्थापना की दिशा में एक सशक्त कदम रहा। डॉ. अम्बेडकर का सार्वजनिक और सामाजिक जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष, शिक्षा का प्रसार और संविधान द्वारा प्रदत मार्ग ही समाज को प्रगतिशील बना सकते है। बाबा साहेब का संघर्ष आज हर पीढी के लिए निःसन्देह रूप से प्रेरणा स्रोत है।

3.3 राजनीतिक योगदान

डॉ. अम्बेडकर का सार्वजनिक जीवन केवल सामाजिक आन्दोलनों तक सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक न्याय को राजनीतिक शक्ति से जोड़ने के लिए **'इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी'** की स्थापना कर दलितों, श्रमिकों और किसानों के हक – अधिकारों के लिए राजनीतिक मंच तैयार किया। उन्होंने दलितों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अलग निर्वाचिका, आरक्षण तथा राजनीतिक भागीदारी की मांग की। यद्यपि पूना पैक्ट (1932) के बाद यह व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने समाज के वंचित वर्गों में राजनीतिक चेतना जगाने में अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा ऐसा भारतीय संविधान दिया जो समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, बंधुत्व और मौलिक अधिकारों पर आधारित था। यह केवल भारत के नागरिकों के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए भी लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर्श उदाहरण बना है। जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। उनका यही विचार मानवता की सार्वभौमिक भावना को बल प्रदान करता है।

अम्बेडकर का राजनीतिक योगदान समग्र मानवता के लिए अमूल्य धरोहर के रूप में परिलक्षित होता है। बाबा साहेब ने राजनीति को सामाजिक न्याय, जन कल्याण, समान अधिकारों का सशक्त माध्यम बनाया और मनुष्य को मनुष्य से जोड़कर समानता और मानवता का मार्ग प्रशस्त किया।

3.4 धर्म और बौद्ध धर्म की और झुकाव

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के धार्मिक विचार केवल आध्यात्मिकता तक ही सीमित नही थे, अपितु वे समानता, सामाजिक न्याय और मानव–मुक्ति के साथ गहराई से जुड़े हुए थे। अम्बेडकर के लिए धर्म का अर्थ ऐसे

नैतिक मार्ग से था जो मनुष्य को गरिमा, स्वतंत्रता और बंधुत्व प्रदान करें। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि धर्म मनुष्य को भेदभाव और ऊँच–नीच में बांटने का माध्यम न होकर मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन होना चाहिए।

अम्बेडकर ने अपने जीवन में जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता और अपमान को बहुत अधिक निकट से अनुभव किया। हिन्दू धर्म में मौजूद जातीय व्यवस्था और सामाजिक असमानता ने उनके मानस पटल पर गहरा प्रश्न खड़ा कर दिया कि यदि कोई धर्म मानव मात्र को एक समान अधिकार नहीं देता है तो वह धर्म मानवता के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है ? इसीलिए उन्होनें कहा था कि **''मैं हिन्दू के रूप में जन्मा जरूर हूँ, लेकिन हिन्दू के रूप में मरूँगा नही।''** उनका यह कथन उनके भीतर सामाजिक परिवर्तन की प्रबल भावना का प्रतीक था।

डॉ. अम्बेडकर का झुकाव बौद्ध धर्म की और होने के कई कारण दृष्टिगत होते है जिनमें से मुख्य कारण था – समानता का सिद्धान्त। गौतम बुद्ध ने मानव मात्र को जाति, जन्म, धर्म और कर्मकाण्ड से ऊपर उठकर देखा। बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं होकर उसके आचरण और नैतिकता से होती है। यह विचार अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धान्त से पूर्णतः समानता रखता था ।

डॉ. अम्बेडकर का झुकाव बौद्ध धर्म की और होने का दूसरा कारण बौद्ध धर्म का तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। अम्बेडकर रूढ़िवादी विचारधारा, धार्मिक कर्मकाण्ड और अंधविश्वास के प्रबल विरोधी थे। बौद्ध धर्म में ईश्वरवाद, आत्मा और परमात्मा जैसे दार्शनिक विवादों के स्थान पर दुःख और उसके कारण तथा निवारण पर जोर दिया गया। यही तार्किक और व्यावहारिक दृष्टिकोण उन्हें अत्यधिक पसंद आया। उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध धर्म ही समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है ।

अम्बेडकर ने 14 अक्टुबर, 1956 को नागपुर की दीक्षाभूमि में भंते चंद्रमणि के हाथों धम्म दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनके द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया जाना न केवल धार्मिक परिवर्तन था बल्कि सकारात्मक सामाजिक क्रांति का आगाज था। उन्होनें अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएँ दिला कर अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और सामाजिक दासता से मुक्त होने का संदेश दिया। उनका बौद्ध धर्म की और झुकाव सामाजिक न्याय, समता और मानवता की खोज का परिणाम है जिसके फलस्वरूप उन्हें ऐसा मार्ग मिला जो मनुष्य को समान अधिकार, विवेक और सम्मान प्रदान करता है। उनके अनुसार बौद्ध धर्म समानता और मानवता का धर्म है, जो शोषण और भेदभाव से मुक्त है।

3.5 <u>अन्तिम जीवन और योगदान</u>

डॉ. अम्बेडकर के जीवनकाल का अन्तिम समय चिंतन, संघर्ष और मानवता के प्रति उनके समर्पण का सुनहरा समय था। यह काल उनके निजी जीवन का अन्तिम समय मात्र नहीं था बल्कि उनके कार्यों और विचारों की श्रेष्ठतम अवस्था का दौर था। डॉ. अम्बेडकर का स्वास्थ्य जीवन के अन्तिम वर्षों में ठीक नहीं रहा, परन्तु वे लगातार लेखन और आन्दोलन में सक्रिय रहे। वे मधुमेह और अन्य आयुगत बीमारियों से ग्रस्त थे फिर भी निरन्तर सामाजिक कार्य और लेखन कार्य जारी रखा। अपने जीवन के अन्तिम दौर में ही अन्होंने अपनी महत्त्वपूर्ण कृति "The Buddha and His Dhamma" लिखी जो उनके बौद्ध धर्म के प्रति आस्था और गहरे झुकाव को प्रदर्शित करती है। उन्होंने अपने निधन के कुछ समय पूर्व ही 14 अक्टुबर, 1956 को नागपुर की दीक्षाभूमि में भंते चंद्रमणि के हाथों धम्म दीक्षा लेकर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनके द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकारना केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, अपितु आत्मसम्मान और सामाजिक समानता की दिशा में उनके द्वारा शुरू की गई क्रांति थी ।

बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के अल्प समय बाद ही 06 दिसम्बर, 1956 को उनके निवास स्थान, 26–अलिपुर रोड़ दिल्ली में उनका निधन हुआ तथा अन्तिम संस्कार मुम्बई की चैत्य भूमि में किया गया। अपने जीवन की उपलब्धियों और मानवता के लिए उनके योगदान, सामाजिक न्याय और संविधान निर्माण में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हे मरणोपरांत 31 मार्च, 1990 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारतरत्न' से सम्मानित किया गया ।

वस्तुतः अम्बेडकर का जीवन एक ऐसे व्यक्ति की गाथा है जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद ज्ञान, संघर्ष और साहस के बल पर इतिहास की धारा को मोड़ दिया। उनकी जीवनी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा, संकल्प और दृढ इच्छाशक्ति के बल पर समाज की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है और मानवता की सच्ची स्थापना की जा सकती है।

3.6 डॉ. भीमराव अम्बेडकर : जीवन यात्रा – एक नजर में

14 अप्रैल, 1891 :– मध्यप्रदेश के महू स्थान पर सैनिक छावनी में जन्म।

1906 :– प्रथम पत्नी रमाबाई से विवाह।

1907 :– मुंबई के एलफिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण।

1908 :– मुंबई के एलफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश ।

1910 :– एलफिंस्टन कॉलेज (मुंबई) से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण।

1912 :– मुंबई विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थ शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त ।

1912 :– पुत्र यशवंत का जन्म।

02 फरवरी, 1913 :– पिता सुबेदार रामजी सकपाल का निधन।

01 जून, 1913 :– बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा विदेश में उच्च अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई ।

1913:– कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में अध्ययन हेतु अमेरिका गए।

1915 :– कोलंबिया विश्वविद्यालय से एम. ए. की डिग्री प्राप्त की ।

1916 :– कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की।

11 नवम्बर, 1918 :– मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने।

31 जनवरी, 1920 :– मराठी भाषा की 'मूकनायक' पाक्षिक पत्रिका की शुरूआत।

1921 :– विज्ञान स्नात्कोत्तर की डिग्री प्राप्त की।

1922 :– ग्रे'ज इन कॉलेज, लंदन (UK) बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण।

1923 :– अर्थशास्त्र में डी.एस.सी. की उपाधि प्राप्त।

20 जुलाई, 1924 :– मुंबई में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना।

19 जुलाई, 1926 :– सबसे छोटे पुत्र राजरत्न का निधन ।

दिसम्बर, 1926 :– मुंबई विधान परिषद् सदस्य के रूप में नामित।

20 मार्च, 1927 :– महाड़ के चावदर तालाब पर महाड़ सत्याग्रह किया।

03 अप्रेल, 1927 :– 'बहिष्कृत भारत' पत्रिका की शुरूआत।

04 दिसम्बर, 1927 :– 'समाज समता संघ' की स्थापना।

21 नवम्बर, 1927 :– बड़े भाई बलराम का निधन।

25 सितम्बर, 1927 :– महाड़ में मनुस्मृति दहन।

29 जून, 1928 :– मराठी पाक्षिक अखबार 'समता' की शुरूआत।

02 मार्च, 1930 :– नासिक में कालाराम मन्दिर सत्याग्रह ।

24 नवम्बर, 1930 :– 'जनता' नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरूआत।

14 अगस्त, 1931 :– गाांधी जी के साथ मुंबई में पहली औपचारिक मुलाकात।

25 सितम्बर, 1932 :– पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर।

1935 :– गवर्नमेन्ट लॉ कॉलेज मुंबई में प्रिंसिपल बने ।

27 मई, 1935 :– पत्नी रमाबाई का निधन।

13 अक्टुबर, 1935 :– नासिक के येवला सम्मेलन में धर्मान्तरण की घोषणा।

15 मई, 1936 :– 'जाति का विनाश' भाषण प्रकाशित।

31 मई, 1936 :– 'मुक्ति का मार्ग कौनसा ?' नामक विख्यात भाषण दिया।

15 अगस्त, 1936 :— 'स्वतंत्र लेबर पार्टी' की स्थापना।
17 फरवरी, 1937 :— मुंबई असेम्बली चुनाव में विजयी हुए।
17 सितम्बर, 1937 :— कोंकण की 'खोती' प्रथा को समाप्त करने के लिए मुंबई विधानमण्डल में बिल पेश किया।
12,13 फरवरी, 1938 :— मनमाड में अस्पृश्य रेलवे कामगार परिषद् का गठन।
1940 :— 'पाकिस्तान पर विचार' ग्रंथ का प्रकाशन।
अप्रेल, 1942 :— 'अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ' की स्थापना।
1942 :— वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में चुने गए।
19 जनवरी, 1943 :— पुणे में विख्यात भाषणः 'रानाडे, गांधी और जिन्ना'।
जून, 1945 :— 'कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया ?' ग्रंथ प्रकाशित।
1946 :— संविधान सभा के लिए चुने गए।
20 जून, 1946 :— मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय की स्थापना।
1946 :— 'शूद्र पहले कौन थे ?' ग्रंथ प्रकाशित।
अगस्त, 1947 :— भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए।
29 अगस्त, 1947 :— संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर चुने गए।
15 अप्रेल, 1948 :— डॉ. शारदा कबीर (सविता अम्बेडकर) के साथ विवाह।
अक्टूबर, 1948 :— 'अस्पृश्य' ग्रंथ प्रकाशित।
04 नवंबर, 1948 :— संविधान का मसौदा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया।
26 नवंबर, 1949 :— संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया।
मई, 1950 :— 'बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य' लेख महाबोधि सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित।
25 मई, 1950 :— कोलम्बो में विश्व बौद्ध परिषद् में उपस्थित हुए।
19 जून, 1950 :— औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना।
27 सितंबर, 1951 :— हिंदू कोड बिल और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रीमंडल से इस्तीफा दिया ।

मार्च, 1952 :— राज्यसभा के लिए चुने गए।

05 जून, 1952 :— कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 'विधि डॉक्टर' की उपाधि प्रदान की गई।

03 अक्टूबर, 1954 :— आकाशवाणी पर 'मेरा व्यक्तिगत दर्शन' विषय पर भाषण।

दिसम्बर, 1954 :— रंगून में तीसरे विश्व बौद्ध सम्मेलन में उपस्थित हुए।

04 मई, 1955 :— 'भारतीय बौद्ध महासभा' की स्थापना ।

04 फरवरी, 1956 :— 'जनता' समाचार पत्र का नाम बदल कर 'प्रबुद्ध भारत' किया। भारत सरकार को चेतावनी दी कि 'मुंबई महाराष्ट्र की है'।

14 अक्टूबर, 1956 :— नागपुर में भंते चंद्रमणि के हाथों धम्म दीक्षा ली और 5 लाख दलित बंधुओं को धम्म की दीक्षा दी।

16 अक्टूबर, 1956 :— चंद्रपुर में 2 लाख दलित बंधुओं को धम्म दीक्षा दी।

20 नवम्बर, 1956 :— काठमांडू में विश्व बौद्ध परिषद् में 'बुद्ध या कार्ल मार्क्स' विषय पर भाषण दिया ।

06 दिसम्बर, 1956:— दिल्ली में उनके निवास स्थान पर महापरिनिर्वाण।

07 दिसम्बर, 1956 :— मुंबई में दादर चौपाटी पर 10 लाख लोगों की उपस्थिति में बौद्ध रीति से अन्तिम संस्कार सम्पन्न।

31 मार्च, 1990 :— मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।

> ***"सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त किए बिना, कानून द्वारा प्रदान की गई स्वतन्त्रता व्यर्थ है।"***
>
> ***डॉ. भीमराव अम्बेडकर (Annihilation of Caste)***

अध्याय 4 :– अम्बेडकर का मानवतावादी दृष्टिकोण

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानवतावादी दृष्टिकोण आधुनिक भारत के सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक चिंतन का मुख्य स्तम्भ माना जाता है। अम्बेडकर का पूरा जीवन मानवता की स्थापना और उसे व्यावहारिक रूप देने के संघर्ष में बीता। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से यह सिद्ध किया कि सच्ची मानवता तभी संभव है जब समाज में असमानता, अन्याय और शोषण समाप्त हो। उनका मानवतावाद केवल सिद्धान्त तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सामाजिक क्रांति का व्यावहारिक कार्यक्रम था। उनके अनुसार किसी समाज द्वारा अपने सबसे कमजोर और वंचित वर्ग के साथ किया जाने वाला व्यवहार ही उस समाज की प्रगति का वास्तविक मापदण्ड होता है।

डॉ. अम्बेडकर के मानवतावाद का मूल आधार समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व था। उनके द्वारा अपने यही विचार ''भारत के संविधान'' के निर्माण में भी प्रमुखतः स्थापित किए गए। उनका मानना था कि वास्तविक मानवता स्थापित करने के लिए समाज से जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव जैसी कुरीतियों को समूल नष्ट करना पड़ेगा। इन कुरीतियों की मौजूदगी में किसी समाज में वास्तविक मानवता कदापि स्थापित नही हो सकती। यही कारण था कि डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवनकाल में जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोध कर सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष किया।

4.1 समानता और सामाजिक न्याय की अवधारणा

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की समानता और सामाजिक न्याय की अवधारणा ही आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला हैं। डॉ. अम्बेडकर, समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत और असमानताओं के विरूद्ध जीवन पर्यन्त संघर्षरत रहे और एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अधिकार और सम्मान मिलता हो। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि यदि समाज में समान अवसर और अधिकार नहीं है तो मानवता का कोई मूल्य नहीं। उन्होंने जाति व्यवस्था को मानवता के लिये सबसे बड़ी बाधा माना।

उनके अनुसार जब तक समाज से छुआछूत और जातिगत भेदभाव समाप्त नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता और न्याय अधूरा रहेगा।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि समानता केवल कानूनी दायरों तक सीमित नहीं होकर सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी समान रूप से आवश्यक हैं। जब तक समाज में जाति–व्यवस्था और ऊँच–नीच का भाव बना रहेगा तब तक वास्तविक समानता संभव नहीं होगी। यही कारण था कि जाति–प्रथा को समाप्त करने पर बल दिया। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक **'जाति का विनाश'** उनकी इसी भावना का प्रतिफल थी ।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ – समाज के कमजोर, वंचित और शोषित वर्गों को न्याय दिलाना था। उनके द्वारा दलितों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए अनेक कदम उठाए गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 – 18 मौलिक अधिकारों, समानता के अधिकार और सामाजिक न्याय से जुड़े प्रावधानों का समावेश उनके अथक प्रयासों का परिणाम है। समाज के कमजोर, वंचित वर्गों की शिक्षा और रोजगार के उचित अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करनें के लिए उनके द्वारा आरक्षण की नीति का पुरजोर समर्थन किया गया जो समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में उनकी अवधारणा को स्पष्ट करता है।

4.2 अस्पृश्यता, जातिवाद और अंधविश्वास के विरोध में विचार

डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्यता को न केवल सामाजिक अन्याय बल्कि मानवता पर कलंक माना, बल्कि उन्होंने समानता, सामाजिक न्याय की अवधारणा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन का मूल आधार बनाया और छुआछूत, जातिवाद, पाखण्डवाद और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों का पुरजोर विरोध कर उनके उन्मूलन के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह और मन्दिर प्रवेश आन्दोलनों के माध्यम से इस अन्याय के विरूद्ध

आवाज उठाई। अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता की आलोचना करते हुए उन्होंने विवेक और तर्क पर आधारित समाज का समर्थन किया।

बाबा साहेब ने अस्पृश्यता को एक सामाजिक कुरीति से बढ कर एक अमानवीय व्यवस्था के रूप में माना और कहा कि कोई भी समाज समानता और सम्मान के भाव के बिना प्रगति नहीं कर सकता। अम्बेडकर अस्पृश्यता को मानवता के विरूद्ध सबसे बड़े अपराध के रूप में देखते थे और इसे मनुष्य की गरिमा का अपमान मानते थे। 20 मार्च, 1927 को चावदर तालाब पर महाड़ सत्याग्रह के माध्यम से बाबा साहेब के द्वारा सार्वजनिक जल स्रोतों पर दलितों के अधिकार की मांग की तथा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 – 18 द्वारा समानता और मौलिक अधिकारों के प्रावधान द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त कर मानवता को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया ।

अम्बेडकर ने जातिवाद और जातीय व्यवस्था को भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी बताया। उन्होंने अपनी पुस्तक **'Annihilation of Cast' (जाति का विनाश)** में स्पष्ट कहा है कि **'जाति व्यवस्था किसी भी समाज की सामाजिक एकता और लोकतन्त्र के लिए बहुत घातक है।'** उनके अनुसार जातियाँ जन्मजात असमानता को स्थायी बनाती है और सामाजिक विभाजन को बढ़ा कर मानसिक गुलामी को बल प्रदान करती है। अम्बेडकर द्वारा ऐसे समाज की कल्पना की गई जहाँ व्यक्ति का मूल्य उसके कर्म और योग्यता से निर्धारित किया जाए, न कि उसके जन्म से ।

डॉ. अम्बेडकर वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता के पक्षधर थे। उन्होंने अंधविश्वास को किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास में बाधक माना। उनके मतानुसार किसी भी धर्म का मूल आधार, अंधश्रद्धा नही होकर, तर्क और नैतिकता होना चाहिए। बाबा साहेब चाहते थे कि लोग परम्पराओं को बिना सोचे–समझे अपनाने की बजाय उन्हें स्वःविवेक की कसौटी पर परखें। अपनी इसी विचारधारा के कारण बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपनाया जो कि समानता, करूणा और तर्क पर आधारित हैं।

4.3 स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धान्त

अम्बेडकर का मानवतावाद तीन मूल्यों पर आधारित था– **स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व**। अर्थात कहा जा सकता है कि उनके विचारों में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व एक आदर्श समाज के तीन आधार स्तम्भ है। उनके अनुसार स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं, समता के बिना समाज में न्याय नहीं और बंधुत्व के बिना सामाजिक एकता असंभव है। इसी सिद्धान्त को उन्होंने भारतीय संविधान की नींव बनाया। उनके द्वारा दिए गए सिद्धान्त न केवल राजनैतिक अवधारणाएँ है बल्कि सामाजिक न्याय और मानवता की स्थापना के लिए आवश्यक मूल्य भी है। बाबा साहेब ने अपने जीवनकाल के संघर्षों और अनुभवों के आधार पर महसूस किया कि भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, सामाजिक विभाजन और असमानता को नष्ट किए बिना वास्तविक रूप में मानवता और लोकतन्त्र की स्थापना किया जाना संभव नहीं है ।

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि केवल विदेशी शासन से मुक्ति ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार और आचरण की स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि जब तक किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने और विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं मिल जाता तब तक उसके व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। अपनी इन्हीं मान्यताओं के कारण उन्होंने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से समस्त नागरिकों को पर्याप्त स्वतंत्रता देने का प्रयास किया।

बाबा साहेब के चिंतन का मूल आधार 'समता' है। उनके द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त जाति–प्रथा, छुआछूत और सामाजिक असमानता का कड़ा विरोध किया गया। उनके अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक समान रूप से अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। डॉ. अम्बेडकर सदैव इस बात पर जोर देते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी समानता लागु होना बहुत जरूरी है केवल कानूनी समानता ही व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती है। जब तक समाज के

प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा और रोजगार के एक समान अवसर उपलब्ध नहीं होंगे तब तक लोकतन्त्र केवल औपचारिकता मात्र बन कर रहेगा।

आपसी भाईचारा, प्रेम और सहयोग की भावना ही वास्तविक अर्थों में बंधुत्व है और अम्बेडकर के अनुसार यही वह तत्त्व है जो समाज में सामंजस्यता और एकता स्थापित करता है। उनके अनुसार यदि किसी समाज में बंधुत्व की भावना नहीं होती है तो उस समाज के व्यक्तियों की स्वतंत्रता और समता दोनों ही कमजोर हो जाती है। उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि लोकतन्त्र मात्र एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं है अपितु यह एक जीवन पद्धति है, जिसमें सभी व्यक्ति एक–दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और सहानुभुति का व्यवहार प्रदर्शित करते है।

डॉ. अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व तीनों को एक–दूसरे से जुड़ा हुआ माना। उनके अनुसार स्वतंत्रता के बिना समता संभव नहीं है और समता के अभाव में स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बंधुत्व के बिना समता और स्वतंत्रता दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व तीनों मिलकर ही एक समतामूलक, न्यायपूर्ण ओर मानवीय समाज का निर्माण करतें है। डॉ. अम्बेडकर का यह सिद्धान्त वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उनके जीवन काल में था। वर्तमान आधुनिक समाज में भी असमानता, भेदभाव और सामाजिक तनाव जैसी समस्याएँ मौजूद है। ऐसी स्थिति में डॉ. अम्बेडकर द्वारा दिया गया स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धान्त हमें एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

4.4 अम्बेडकर का सकारात्मक मानवतावाद

अम्बेडकर का दृष्टिकोण केवल दलितों या किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित नहीं था, बल्कि समस्त मानव जाति की समानता, स्वतंत्रता और गरिमा पर आधारित एक व्यापक और सकारात्मक दृष्टिकोण था। उनके विचारों में करूणा, न्याय और सामाजिक सहयोग की भावना स्पष्ट

दिखाई देती है। यही कारण है कि वे केवल दलितों के नेता नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मानवतावादी चिंतक माने जाते हैं । डॉ. अम्बेडकर के मानवतावाद को 'सकारात्मक मानवतावाद' की संज्ञा दी जा सकती है क्योंकि उनका मानवतावाद सामाजिक न्याय, बौद्धिक स्वतंत्रता और नैतिक समानता का समन्वित रूप था।

अम्बेडकर का मानवतावाद केवल शोषण के विरोध तक ही सीमित न होकर एक ऐसे समाज के निर्माण की और उन्मुख था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार, अवसर और सम्मान एक समान रूप से प्राप्त हो। उनका मानना था कि मानवता का वास्तविक अर्थ केवल सहानुभूति नहीं है अपितु सक्रिय रूप से अन्याय के विरूद्ध संघर्ष कर समानता स्थापित करना है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के द्वारा उनके विचारों में ''समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व'' को सम्पूर्ण मानव समाज की आधारशिला माना गया है । इस सिद्धान्त को उनके द्वारा बौद्ध धर्म और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों से ग्रहण किया गया। बाबा साहेब के अनुसार समाज के व्यक्तियों में यदि बंधुत्व की भावना नहीं होगी तो न तो स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकेगी और न ही समानता स्थापित की जा सकेगी। इस प्रकार उनका मानवतावाद केवल अधिकारों की बात ही नहीं करता है बल्कि सामाजिक एकता और नैतिकता को भी महत्त्व प्रदान करता है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा, जाति–प्रथा, छुआछूत और सामाजिक असमानताओं को माना जाता है। उनके अनुसार ऐसी कोई भी व्यवस्था जो एक मानव को दूसरे मानव से पृथक करती हो वह व्यवस्था कभी मानवतावादी नहीं हो सकती है। बाबा साहेब का संघर्ष केवल दलितों या किसी जाति विशेष के उत्थान के लिए नहीं था अपितु सम्पूर्ण मानव समाज को अन्याय और अज्ञानता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए था।

उनका प्रसिद्ध संदेश **'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो '**, केवल दलितों या किसी जाति विशेष के लिए ही नहीं था, बल्कि उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए था जो अधिकारों ओर गरिमा के लिए जागरूक होना चाहता था। इससे स्पष्ट होता है कि अम्बेडकर के मानवतावाद में शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया है। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही स्वतंत्र चिंतन और आत्मसम्मान से जीने की शक्ति प्राप्त होती है। बाबा साहेब का कथन **"शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा"** भी यही संदेश देता है कि शिक्षा मनुष्य को साहसी, आत्मविश्वासी और निर्भीक बनाती है, और इन्सान में सही गलत की समझ विकसित कर उसे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत प्रदान करती है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की मानवतावादी विचारधारा, लोकतांत्रिक मूल्यों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है। बाबा साहेब के मतानुसार लोकतन्त्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है बल्कि एक सामाजिक जीवन पद्धति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाता है। जब तक हमारे समाज में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विषमताएँ व्याप्त रहेंगी तब तक राजनीतिक लोकतन्त्र स्थायी नहीं हो पाएगा।

डॉ. अम्बेडकर का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, वर्ग या उसके धर्म से नहीं होकर केवल उसकी मानवता से हो। अम्बेडकर का मानवतावादी दृष्टिकोण जातिवाद और भेदभाव के विरूद्ध संघर्ष का संदेश देता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब तक हर व्यक्ति को समान अधिकार और गरिमा नहीं मिलती, तब तक मानवता अधूरी है। उनका सकारात्मक मानवतावाद समस्त मानव जाति के कल्याण, समानता और सम्मान तथा गरिमा की स्थापना व सामाजिक न्याय और समरसता की दिशा में एक मार्गदर्शक विचारधारा है।

अध्याय 5:– धर्म और मानवता के संदर्भ में अम्बेडकर

धर्म और मानवता का संबंध सदियों से चिंतन का विषय रहा है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने धर्म को केवल पूजा–पाठ या आस्था का विषय न मानकर उसे मानव कल्याण, सामाजिक न्याय और समानता से जोड़ते हुए सामाजिक जीवन की व्यवस्था और नैतिकता का आधार माना। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य मनुष्य को ऊँच–नीच में बांटना नहीं, बल्कि उसे समानता और करूणा से जोड़ना, मानव में नैतिकता का विकास करना, समाज में समानता स्थापित कर मानवीय गरीमा की रक्षा करना होना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर एक ऐसे धर्म के पक्षधर थे जो मनुष्यों को मानवता की भावना से जोड़ता हो, वे मनुष्य को बांटनें वाले किसी धर्म के पक्षधर कभी नहीं रहे।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि **''धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए''** जिसका उल्लेख उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ''The Buddha and His Dhamma'' में देखने को मिलता है। उनके अनुसार धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के जीवन में समानता, बंधुत्व और नैतिकता की स्थापना करना होना चाहिए। यदि कोई धर्म मनुष्य को ऊँच–नीच में बांटता है या मानव की गरीमा को किसी भी प्रकार से ठेस पहुँचाने का कार्य करता है तो वह धर्म मानवता के विरूद्ध है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक **''Annihilation of Cast''** **''(जाति का विनाश)''** में स्पष्ट कहा है कि– **''जो धर्म मनुष्य–मनुष्य में भेद करता है, वह धर्म नहीं है''** **(A religion which discriminates between man and man is not a religion)**। अर्थात वह धर्म जो मानव को मानव नहीं समझे, धर्म नहीं हो सकता। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार वह धर्म ही मानवता को सुदृढ़ कर सकता है जिस धर्म का आधार समाज में न्याय, प्रेम ओर करूणा हो ।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जहां अपनी प्रसिद्ध पुस्तक **''Annihilation of Cast''** **''(जाति का विनाश)''** में जाति–व्यवस्था और धर्म के नाम पर होने वाले भेद–भाव की तीखी आलोचना की है वहीं अपनी प्रसिद्ध कृति

"The Buddha and His Dhamma" में उन्होंने ऐसे धर्म की वकालात की है जो मानव समानता और करूणा पर आधारित हो ।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि जन्म के आधार पर किए जाने वाले भेद–भाव ने मानव की गरिमा को कुचल दिया है। जिस कारण उनके चिंतन में मानवता का स्थान सर्वोपरि रहा है। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति, वर्ग, समुदाय अथवा धर्म में हुआ हो, वह एक समान शिक्षा, सम्मान और अधिकारों का हकदार है। बाबा साहेब के लिए मानवता केवल एक भावना नहीं थी अपितु एक सामाजिक दर्शन था ।

5.1 <u>हिन्दू धर्म पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण</u>

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का हिन्दू धर्म के प्रति दृष्टिकोण आलोचनात्मक, तार्किक और मानवतावादी था। उनके द्वारा धर्म को केवल आस्था और अध्यात्म का विषय नहीं मानकर उसे सामाजिक संरचना, न्याय और मानव गरिमा के संदर्भ में परखा गया। बाबा साहेब के लिए धर्म का अन्तिम उद्वेश्य मानव के जीवन में समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और बंधुत्व की स्थापना करना था। उनके अनुसार यदि कोई धर्म मानव के जीवन में समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और बंधुत्व जैसे मूल्यों की स्थापना नहीं कर पाता है तो वह धर्म मानवता के लिए बाधक बन जाता है। अपने इसी दृष्टिकोण के आधार पर डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म की कई परम्पराओं और मान्यता की आलोचना की।

डॉ. अम्बेडकर की सबसे प्रमुख आलोचना हिन्दू धर्म की जाति व्यवस्था को लेकर थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक **"जाति का विनाश" (Annihilation of Caste)** में स्पष्ट कहा है कि **'जाति व्यवस्था केवल सामाजिक विभाजन ही नहीं है अपितु ऐसी व्यवस्था है जो असमानता को स्थायित्व प्रदान करती है।'** जाति व्यवस्था में व्यक्ति का स्थान और अधिकार उसकी योग्यता और कर्म से निर्धारित किए जाने की बजाय उसके जन्म से किया जाता है। अम्बेडकर के अनुसार यह व्यवस्था न केवल सामाजिक एकता को नष्ट करती है बल्कि लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों के

भी विपरीत है। उनका मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था का पूर्णतः उन्मुलन नहीं होगा, तब तक समाज में वास्तविक रूप में समानता स्थापित नहीं हो सकती है ।

अस्पृश्यता के विषय में डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण और अधिक कठोर था। उनके द्वारा इसे हिन्दू धर्म की सबसे अन्यायपूर्ण और अमानवीय देन माना। अस्पृश्यता के कारण दलितों को समाज के मूलभूत अधिकारों – जैसे शिक्षा, मन्दिर प्रवेश, और सार्वजनिक संसाधनों जैसे जल आदि के उपयोग से वंचित रखा गया। उनका मानना था कि यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है बल्कि धार्मिक मान्यताओं से पोषित एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। जब तक धर्म स्वयं इस भेदभाव को समाप्त नहीं कर देता, तब तक समाज में वास्तविक सुधार संभव नहीं है।

अम्बेडकर नें हिन्दू धर्म की जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की प्रथा को मानवता के खिलाफ माना। उन्होंनें कहा कि जिस धर्म में मनुष्य को जन्म के आधार पर ऊँचा–नीचा माना जाए, वह धर्म मानवता की रक्षा नहीं कर सकता। उनकी पुस्तक **''जाति का विनाश''** (**Annihilation of Caste**) में यह विचार स्पष्ट रूप से प्रकट होते है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हिन्दू धर्म के कुछ प्रमुख ग्रन्थों की भी आलोचना की गई, जिनमें विशेष रूप से मनुस्मृति की आलोचना प्रमुख है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार इन ग्रन्थों में वर्ण और जाति आधारित भेदभाव को वैधता प्रदान की गई है। जहां एक तरफ **''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रेतास्तु न पुज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया''।।** जैसे श्लोक द्वारा नारी को पूजनीय बनाया वहीं **''ढोल, गंवार, शुद्र, पशु, नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी।।** जैसे वाक्यों से नारी और शुद्र को प्रताड़ना का अधिकारी बना दिया। मनुस्मृति के श्लोक **''पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति योवने।, रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति''।।** द्वारा तो स्त्रियों की सम्पूर्ण और आजीवन स्वतंत्रता को ही समाप्त कर दिया गया।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा 25 सितम्बर, 1927 को महाड़ में मनुस्मृति दहन के माध्यम से इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का प्रतीकात्मक विरोध किया जाना उनके विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी कि सामाजिक समानता

के लिए केवल सुधार की बातें किया जाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि अन्यायपूर्ण परम्पराओं और व्यवस्थाओं का विरोध किया जाना भी आवश्यक है।

5.2 धर्म का वास्तविक उद्देश्य

मानव जीवन में धर्म का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल से ही धर्म को जीवन का मार्गदर्शक माना जाता है, किन्तु समय के साथ धर्म के स्वरूप में अनेक विकृतियाँ भी उत्पन्न हो गई जिसके कारण से धर्म का मूल उद्देश्य कहीं न कहीं धूमिल हो गया। ऐसे समय में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने धर्म के वास्तविक स्वरूप और उसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए एक नई विचारधारा प्रस्तुत की।

अम्बेडकर के अनुसार धर्म का वास्तविक उद्देश्य केवल पूजा–पाठ, कर्मकांड या आडम्बर नहीं है। उनका मानना था कि धर्म एक ऐसी नैतिक व्यवस्था है जो मनुष्य के आचरण को सही कर उसे एक जिम्मेदार और सजग नागरिक बनाती है। उनके विचार में धर्म का मुख्य कार्य नैतिकता, सत्य, करूणा और न्याय की स्थापना करना है। यदि कोई धर्म इन मूल्यों को स्थापित नहीं कर पाता है तो वह अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाता है। धर्म को मनुष्य से जोड़ने वाला होना चाहिए न कि तोड़ने वाला। वे ऐसे धर्म को अस्वीकार करते थे जो असमानता को बढ़ावा देता हो।

डॉ. अम्बेडकर ने धर्म को सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार सच्चा धर्म वही है जो समाज में समानता, स्वतंत्रता और बन्धुत्व को बढावा देता हो। बाबा साहेब उन समस्त धार्मिक व्यवस्थाओं के कटु आलोचक थे, जो जाति–प्रथा, छुआछूत, भेदभाव और ऊँच–नीच को बढावा देती हो। उनका मानना था कि जो धर्म मानवता के विरूद्ध हो उसे समाप्त कर देना चाहिए। किसी भी धर्म का उद्देश्य, समाज को जोड़ना होना चाहिए न कि विभाजित करना।

डॉ. अम्बेडकर की प्रसिद्ध कृति ''The Buddha and His Dhamma'' के अनुसार '**धर्म को तर्क और विज्ञान के अनुरूप होना चाहिए।**' अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और अवैज्ञानिक मान्यताएँ धर्म को कमजोर बनाती है। इसलिए

उन्होंने ऐसे धर्म की पैरवी की, जो बुद्धि और अनुभव पर आधारित हो तथा मनुष्य को सोचने, समझने और विचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता हो। उनके अनुसार धर्म का वास्तविक उद्देश्य किसी मनुष्य को बेहतर इन्सान बनाना और समाज मे न्यायपूर्ण, समतामूलक तथा मानवीय मूल्यों की स्थापना करना होता है।

धर्म में वह शक्ति होती है जो मनुष्य को नैतिकता की राह पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती है और समाज में शांति, सहयोग और भाईचारे की भावना विकसित करती है।

अपने इन्हीं सिद्धान्तों और विचारों के आधार पर डॉ. अम्बेडकर ने अंततः बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म में समानता, करूणा, मानवता और तर्क का विशेष महत्त्व है, जो उनके आदर्शों के अनुरूप था। यह धर्म व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने की प्रेरणा देता है। उनके लिए धर्म का अन्तिम सार मानवता था, और बौद्ध धर्म का मूल आधार करूणा, दया, समानता और अहिंसा है, और ये सभी तत्त्व मिल कर मानवता की भावना को मजबूत बनाते है।

5.3 बौद्ध धर्म का स्वीकार और उसका मानवतावादी आधार

धर्म के संबंध में अम्बेडकर का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक और तर्कपुर्ण था। वे अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और कुप्रथाओं के प्रबल विरोधी थे। वे मानते थे कि धर्म का उद्देश्य मानव के भीतर नैतिक चेतना को जगाना होता है। धर्म ऐसा होना चाहिए जो समाज में प्रेम, करूणा, सहिष्णुता और न्याय की स्थापना करता हो। अपनी इसी विचारधारा के कारण लम्बे चिंतन और अध्ययन के बाद अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में अपने अनुयायियों के साथ अंततः बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उनके अनुसार बौद्ध धर्म में करूणा, अहिंसा, मानव समानता, तर्कशीलता और मानवता के मूल्य समाहित है। यह एक तर्कसंगत और वैज्ञानिक धर्म है, जो व्यक्ति को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान प्रदान करता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करना उनके लिए केवल एक धर्म परिवर्तन करना ही नहीं था अपितु मानव गरिमा और आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना का आंदोलन भी था।

अम्बेडकर के अनुसार मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन सामाजिक अन्याय है। समाज की प्रगति और चहुँमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि उसमें निवासरत प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अवसर उपलब्ध हो। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, और सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को उचित स्थान दिया।

बौद्ध धर्म का मूल आधार मानवता है। इसमें किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं है और सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखा जाता है। यह धर्म सिखाता है कि मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और आचरण से तय होता है। यही विचार अम्बेडकर के सामाजिक दर्शन का केन्द्र था।

इसके अतिरिक्त, बौद्ध धर्म तर्क और बुद्धि को महत्त्व देता है। इसमें अन्धविश्वास और रूढ़िवादिता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रश्न करने और सत्य को समझने की प्रेरणा दी जाती है। यही कारण है कि यह धर्म आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुकूल माना जाता है।

5.4 धर्म और सामाजिक परिवर्तन

धर्म मनुष्य के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण आधार माना जाता है, जो केवल पूजा–पद्धति या आस्था तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि व्यक्ति के मन, विचार, आचरण और समाज की संरचना को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। भारतीय समाज में सदैव धर्म का अति विशिष्ट महत्त्व रहा है, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन–मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक सम्बन्धों को दिशा प्रदान करता है। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि केवल राजनीतिक और सामाजिक सुधार पर्याप्त नहीं है, जब तक व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक मानवता की स्थापना कठिन है। इसलिए उन्होंने धर्म को सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन माना और इसे जन कल्याण से जोड़ा।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के जीवन में नैतिकता, समानता और न्याय की स्थापना करना है । बाबा साहेब ने स्पष्ट रूप से कहा कि **"धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए"**। उनका मानना था कि यदि कोई धर्म समाज में छुआछूत, भेदभाव या असमानता को बढावा देता है, तो वह धर्म नहीं बल्कि एक सामाजिक बुराई है। अपने इसी दृष्टिकोण से अम्बेडकर ने, धर्म को सामाजिक सुधार और परिवर्तन का एक प्रभावी और सशक्त माध्यम माना।

धर्म प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सत्य, अहिंसा, करूणा और ईमानदारी जैसे चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास करता है। जब ये नैतिक और चारित्रिक गुण व्यक्ति के जीवन में परिलक्षित होते हैं, तो उन गुणों का प्रभाव सम्पूर्ण समाज पर पड़ता है। एक नैतिक और जागरूक व्यक्ति, पुरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस प्रकार धर्म एक व्यक्ति से सम्पूर्ण समाज तक परिवर्तन की प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ा सकता है।

सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में धर्म मानवता, समानता और न्याय की भावना को मजबूती प्रदान करता है। बौद्ध धर्म जैसे धर्मों में सभी मनुष्यों को एक समान माना जाता है और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यही कारण है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया क्योंकि उन्हें इस धर्म में समता, बन्धुत्व और स्वतंत्रता के सिद्धान्त दृष्टिगत हुए जो एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए अति आवश्यक होते हैं।

धर्म, मानव को समाज में व्याप्त मिथ्या धारणाओं, विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों के विरूद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा भी देता है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर नें धर्म के माध्यम से ही छुआछूत, जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था। उन्होंने यह बताया कि धर्म केवल परम्पराओं का पालन करने का जरिया ही नहीं है अपितु यह समाज को एक नई दिशा देने की ताकत भी रखता है। धर्म सामाजिक समरसता, एकता और भाईचारे की भावना का विकास भी करता है। जब किसी समाज के लोग एक—दूसरे को एक समान दृष्टि से देखते हुए आपसी

सहयोग की भावना रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक परिवर्तन अधिक प्रभावी और अधिक स्थायी होता है। धर्म इस सामाजिक एकता को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपुर्ण भूमिका निभाता है। धर्म को यदि सही दृष्टिकोण से समझा और अपनाया जाए, तो यह सामाजिक परिवर्तन का एक अत्यंत शक्तिशाली साधन बन सकता है। डॉ. अम्बेडकर के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि धर्म का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवता की स्थापना भी है। इसलिए एक ऐसा धर्म जो समाज में समानता, स्वतन्त्रता और बंधुत्व को बढावा दे, वही सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से समाज को प्रगतिशील और समतामूलक बना सकता है।

5.5 मानवता के साथ धर्म का समन्वय

मानव जीवन में धर्म और मानवता दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जहां धर्म के द्वारा आस्था, विश्वास और नैतिक मूल्यों को आधार प्रदान किया जाता है, वहीं पर मानवता व्यक्ति को दया, करूणा, प्रेम और सहानुभूति का मार्ग दिखाती है। जब धर्म और मानवता का सही और सटीक समन्वय होता है, तभी समाज में शांति, समानता और सद्भाव की स्थापना संभव हो पाती है।

धर्म का वास्तविक उद्देश्य केवल पूजा–पद्धति या रीति–रिवाजों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका संबंध व्यक्ति के आचरण और व्यवहार द्वारा मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाना भी होना चाहिए। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने धर्म को मानवता से जोड़ते हुए यह सिद्धान्त दिया कि सच्चा धर्म वही है, जो मनुष्य को समान अधिकार दे और समाज में न्याय और भाईचारा स्थापित करे। यदि धर्म मानवता के विरूद्ध कार्य करता है, तो वह अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। उनका धर्म के प्रति दृष्टिकोण कट्टरता से मुक्त और मानवतावादी था।

मानवता के साथ धर्म का समन्वय यह सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से सम्बन्ध रखता हो। सभी धर्मों का मूल संदेश भी यही है कि मनुष्य को प्रेम और सहयोग की भावना से जीवन यापन करना चाहिए। धर्म और मानवता के समन्वय से समाज में

व्याप्त भेदभाव, घृणा और हिंसा को समाप्त किया जा सकता है। जब लोग धर्म के नाम पर विभाजित होने की बजाय मानवता को प्राथमिकता देते हैं, तो सामाजिक एकता और बंधुत्व की भावना मजबूत होती है। इससे समाज में शांति और सहयोग का वातावरण बनता है। अतः जब हम दूसरों के दुःख–दर्द को समझते हैं और उनकी सहायता करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में धार्मिक बनते हैं।

इसके विपरीत, जब धर्म को संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है और उसे केवल परम्पराओं और रूढ़ियों तक सीमित कर दिया जाता है, तब वह मानवता के विरूद्ध भी जा सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जहाँ धर्म के नाम पर भेदभाव और संघर्ष हुए हैं। इसलिए मानवता की स्थापना के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि धर्म को मानवता के मूल्यों के साथ जोड़ कर रखा जाए। आज के समाज में अनेक बार धर्म के नाम पर विभाजन और संघर्ष देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य कारण धर्म के वास्तविक स्वरूप को न समझ पाना है। यदि धर्म को मानवता के साथ जोड कर समझा जाए, तो ये विभाजन और संघर्ष समाप्त किये जा सकते है और समाज में शांति और सौहार्द की स्थापना की जा सकती है।

धर्म और मानवता का समन्वय एक आदर्श समाज के निर्माण की आधारशिला है। ऐसा धर्म जो मानवता, समानता और न्याय को बढ़ावा देता है, वही सच्चा धर्म है। जब व्यक्ति अपने धार्मिक कर्तव्यों के साथ–साथ मानवीय मूल्यों का पालन करता है, तब वह न केवल अपना स्वयं का उत्थान करता है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य करता है।

अम्बेडकर ने धर्म और मानवता के बीच सामंजस्य स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि धर्म का उद्देश्य यदि मानवता की सेवा नहीं है, तो वह धर्म निरर्थक हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार कर उन्होंने यह संदेश दिया कि धर्म का चुनाव भी मानवता की रक्षा और समाज सुधार के लिए होना चाहिए।

"धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं।"

डॉ. भीमराव अम्बेडकर (The Buddha and His Dhamma)

अध्याय 6 :– संविधान निर्माण में अम्बेडकर का योगदान और मानवता

भारतीय इतिहास में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का नाम एक महान विधि विशेषज्ञ, समाज सुधारक और मानवतावादी चिंतक के रूप में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में केन्द्रीय भूमिका निभाते हुए मानवता और समानता के सिद्धान्तों को भी संविधान की नींव में समाहित कर एक ऐसे समाज की परिकल्पना भी की जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धान्तों पर आधारित हो। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान असाधारण और ऐतिहासिक है। उनका सम्पूर्ण जीवन, उनका संघर्ष और उनके विचार समग्र रूप से मानवता की सेवा के प्रति समर्पित थे।

संविधान निर्माण के समय भारत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताओं के दौर से गुजर रहा था। ऐसे समय में डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीय समाज की जटिलताओं को समझते हुए एक ऐसा संवैधानिक ढांचा तैयार किया, जो सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करता हो और देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान अवसर और अधिकार प्रदान करता हो। डॉ. अम्बेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि भारत का संविधान केवल शासकीय ढांचा मात्र न होकर, समाज के समस्त कमजोर और वंचित वर्गों की रक्षा का एक शक्तिशाली माध्यम बने और देश के प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतन्त्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करे। अम्बेडकर ने विशेष रूप से सामाजिक रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए। अनुसुचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था उनके इसी दृष्टिकोण का परिणाम है। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और उन्हें शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में एक समान अवसर मिल सके। उन्होनें संविधान में मौलिक अधिकारों को विशेष महत्त्व दिया गया। मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की गारंटी प्रदान करते है। सामाजिक भेदभाव को

समाप्त करने के लिए उनके द्वारा संविधान में कठोर प्रावधान किए गए और अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कई प्रकार के कानूनी प्रावधान बनाए गए।

डॉ. अम्बेडकर के विचारों में मानवता सर्वोच्च स्थान पर थी। वे मानते थे कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब उसमे सभी व्यक्तियों को एक समान सम्मान और अवसर प्राप्त हो। उन्होंने जाति–प्रथा का कड़ा विरोध किया और इसे मानवता के लिए अभिशाप बताया। उनके मतानुसार किसी भी धर्म या सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, न कि किसी प्रकार के भेदभाव और अन्याय को बढावा देना।

अम्बेडकर ने लोकतन्त्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का एक आदर्श रूप मानते हुए कहा कि लोकतन्त्र की सफलता के लिए समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का होना अति आवश्यक है। यदि समाज में असमानता बनी रहती है, तो लोकतन्त्र केवल एक औपचारिक व्यवस्था बन कर रह जाएगा। इसलिए उनके द्वारा संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए जो सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हों तथा कमजोर वर्गों को सशक्त बनाते हों।

6.1 मौलिक अधिकार और समानता

भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संविधान के रूप में जाना जाता है। यह केवल शासन संचालन का दस्तावेज ही नहीं है बल्कि मानव की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता एवं न्याय की स्थापना का आधार भी है। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही है। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से संविधान को ऐसा स्वरूप दिया जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो सके ।

अम्बेडकर का मानना था कि लोकतन्त्र केवल राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं है, अपितु सामाजिक जीवन जीने की पद्धति भी है। यदि समाज में समानता और मानवता नहीं होगी तो वहां लोकतन्त्र सफल नहीं हो

सकता। इसी कारण संविधान में 'मौलिक अधिकारों' को विशिष्ट स्थान दिया गया, ताकि प्रत्येक नागरिक को उनके जीवन में स्वतन्त्रता और समान अवसरों की प्राप्ति हो सके।

वस्तुतः **मौलिक अधिकार, वे मूल अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदान किए गए है।** ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, स्वतंत्रता, और उसकी गरिमा की रक्षा करते है। भारतीय संविधान के भाग तीन (अनुच्छेद 12 से 35) में इन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।

इन मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को उन पर होने वाले अत्याचारों, भेदभाव और अन्याय से बचाना है। ये अधिकार वे बुनियादी अधिकार है जो व्यक्ति को सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और लोकतन्त्र को मजबूत बनाते हैं, तथा नागरिकों का समग्र विकास कर उनकी स्वतन्त्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं।

भारतीय संविधान में मूल रूप से सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन सम्पत्ति के अधिकार को 44 वें संविधान संशोधन (1978) के बाद मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा कर कानूनी अधिकार बना दिया गया जिसके पश्चात् वर्तमान में भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 06 मौलिक अधिकार मौजूद है जो निम्न है–

(1) समानता का अधिकार (Right to Equality)

यह अधिकार भारतीय संविधान का सबसे महत्त्वपुर्ण अधिकार माना जाता है। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त ऊँच–नीच, जातिगत भेदभाव और असमानता को समाप्त करना है। इस अधिकार के तहत **अनुच्छेद 14 से 18** में निम्न अधिकार संविधान द्वारा प्रदत है–

(क) **कानून के समक्ष समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)**–

इस अनुच्छेद के अनुसार सभी नागरिक कानून की दृष्टि में एक समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता।

(ख) **भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)** – राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

(ग) **अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)** – सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक पदों पर सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्रदान किए।

(घ) **अस्पृश्यता का अन्त (अनुच्छेद 17)**– इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया और उसे दण्डनीय अपराध बनाया गया।

(ड़) **उपाधियों का अन्त (अनुच्छेद 18)** – इस अनुच्छेद के माध्यम से समाज में समानता बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य द्वारा विशेष उपाधियाँ देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया।

(2) स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)

इस अधिकार के तहत **अनुच्छेद 19 से 22** में निम्न अधिकार संविधान द्वारा प्रदत है–

(क) अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार
(ख) सभा करने की स्वतन्त्रता का अधिकार
(ग) संगठन बनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार
(घ) भारत में कहीं भी आने–जाने और बसने की स्वतन्त्रता का अधिकार
(ड़) किसी भी पेशे को अपनाने की स्वतन्त्रता का अधिकार
(च) जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार
(छ) गिरफ्तारी और निरोध के विरूद्ध सुरक्षा का अधिकार

(3) शोषण के विरूद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)

इस अधिकार के तहत **अनुच्छेद 23 और 24** में निम्न अधिकार संविधान द्वारा प्रदत है–

(क) मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी निषेध का अधिकार
(ख) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक/जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाने पर रोक

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

इस अधिकार के तहत **अनुच्छेद 25 से 28** में निम्न अधिकार संविधान द्वारा प्रदत है–

(क) किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता का अधिकार

(ख) धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, संचालन और प्रबंधन का अधिकार

(ग) धार्मिक करों से स्वतन्त्रता का अधिकार

(घ) धार्मिक शिक्षा पर नियन्त्रण

(5) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights)

इस अधिकार के तहत **अनुच्छेद 29 और 30** में निम्न अधिकार संविधान द्वारा प्रदत है–

(क) अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार

(ख) अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

इस अधिकार के तहत **अनुच्छेद 32** में निम्न अधिकार संविधान द्वारा प्रदत है–

(क) मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार

डॉ. भीमराव अम्बेडकर नें संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32), को ''संविधान का हृदय और आत्मा'' कहा था ।

अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों को कानूनी मान्यता का प्रावधान किया गया है, तथा अनुच्छेद 31 (सम्पत्ति का अधिकार) को 44 वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता का दर्द प्रत्यक्ष रूप में झेला था। जिस कारण से वे अच्छी तरह से जानतें थे कि समाज में व्याप्त असमानता मानवता की स्थापना के लिए सबसे बड़ी बाधा है और मानवता के लिए अभिशाप है। उनका

मानना था कि यदि किसी समाज में कुछ लोगों को ऊँचा और कुछ को नीचा माना जाएगा, तो लोकतन्त्र नाम मात्र का ही रह जाएगा। यही कारण रहा कि उन्होंने भारतीय संविधान में समानता को सर्वोच्च महत्त्व प्रदान किया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक ''**जाति का विनाश**'' (**Annihilation of Caste)**, उनके लेख और भाषणों में लिखा है कि **"Equality may be a fiction but nonetheless one must accept it as a governing principle"** अर्थात ''**समानता भले ही कल्पना लगे, फिर भी इसे शासन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना होगा।**'' इससे स्पष्ट होता है कि चाहे सभी मनुष्य हर दृष्टि से एक समान नहीं हों, फिर भी लोकतांत्रिक समाज,और न्यायपूर्ण शासन के लिए ''समानता'' को मौलिक सिद्धान्त के रूप में अपनाया जाना आवश्यक है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर नें भारतीय संविधान के माध्यम सें दलितों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों और कमजोर समुदायों को अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उनके द्वारा भारतीय संविधान में की गयी आरक्षण व्यवस्था भी सामाजिक न्याय को स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम बनी।

मौलिक अधिकारों का आधार केवल कानून ही नहीं है, बल्कि मानवता की भावना भी है। क्योंकि मानवता का वास्तविक अर्थ ही प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, स्वतन्त्रता और अधिकारों का आदर करना है।

डॉ. अम्बेडकर का दर्शन बौद्ध धर्म से प्रेरित और ''स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व'' पर आधारित था। उनका मानना था कि समाज तभी विकसित हो सकता है जब उसमें भाईचारा और मानवता हो। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार इसी मानवतावादी विचारधरा को मजबूत करते है।

आज भी भारतीय समाज में जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, और सामाजिक अन्याय जैसी समस्याएँ मौजूद है। ऐसे समय में मौलिक अधिकारों का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता हैं। यदि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे तो लोकतन्त्र मजबूत होगा। समानता

और मानवता के संवैधानिक आदर्श समाज में शांति और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं।

6.2 सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय

भारतीय संविधान विश्व के सबसे उत्कृष्ट लोकतांत्रिक संविधानों में से एक माना जाता है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल शासन संचालन का दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि मानव गरिमा, समानता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना का मार्गदर्शक ग्रन्थ भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तीनों आयाम– सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को, राष्ट्र के मूल आदर्शों के रूप में स्वीकार किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता तक ही सीमित देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जहाँ निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त है।

भारत का इतिहास सामाजिक असमानताओं, जातिगत भेदभावों, आर्थिक विषमताओं और राजनीतिक उपेक्षाओं से भरा रहा है। यहाँ सदियों तक समाज के एक बडे वर्ग को शिक्षा, सम्मान और अधिकारों से वंचित रखा गया है। ऐसे समय में डॉ. अम्बेडकर द्वारा संविधान के माध्यम सें एक ऐसे भारत की कल्पना की गई जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और न्याय प्राप्त हो। उनका मानना था कि लोकतन्त्र तभी सफल हो सकता है जब समाज में समानता, स्वतन्त्रता और भाईचारे की भावना कायम होगी।

समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक समान सम्मान और समान अवसर प्राप्त होना ही सामाजिक न्याय है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, भाषा या जन्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, यही सामाजिक न्याय की मूल भावना का निहितार्थ है। भारतीय समाज में लम्बे समय तक छुआछूत और ऊँच–नीच जैसी कुरीतियाँ व्याप्त रही है, जिन्होंने मानवता की अवधारणा को कमजोर किया है। डॉ. अम्बेडकर नें इन बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करते हुए भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान सम्मिलित किऐ जिनसे मानवता की स्थापना का मार्ग सुलभ हो सके। जहाँ अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है,

वहीं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ये प्रावधान केवल कानुनी परिवर्तन ही नहीं थे, अपितु मानव के सम्मान की पुनर्स्थापना की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।

राजनीतिक न्याय किसी लोकतन्त्र की आत्मा माना जाता है। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य यह है कि जहाँ प्रत्येक नागरिक को शासन व्यवस्था में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त हो। भारतीय संविधान नें सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार देकर लोकंन्त्र की अवधारणा को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया है। यह उस समय विश्व के कई देशों से भी अधिक प्रगतिशील कदम था। भारतीय संविधान की यह व्यवस्था तात्कालीन समय में बहुत क्रांतिकारी मानी गई क्योंकि इस व्यवस्था से गरीब, दलित, महिलाएँ और पिछड़े वर्ग भी राजनीतिक प्रक्रिया के सहभागी बने। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि जब तक समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को राजनीतिक शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक वे अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएँगे। इसलिए उन्होंने लोकतन्त्र को केवल शासन प्रणाली ही नहीं, अपितु सामाजिक जीवन की एक पद्धति माना।

आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में धन और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना है। केवल राजनीतिक अधिकार मिल जाने से ही समाज में वास्तविक समानता कायम नहीं हो सकती, जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ सुगमता से उपलब्ध न हों। गरीबी, बेरोजगारी, और आर्थिक शोषण लोकतन्त्र की नींव को कमजोर करते है। इसी कारण भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्त्वों में राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह इस प्रकार व्यवस्था कायम करें जिससे कि सभी नागरिकों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और समान वेतन जैसी सुविधाएँ प्राप्त हो। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि आर्थिक असमानता को समाप्त किए बिना सामाजिक न्याय की पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं है।

सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, एक दूसरे से गहरा सम्बन्ध रखते है। डॉ. अम्बेडकर ने 25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में अपने अन्तिम भाषण में यह स्पष्ट कहा था कि ''राजनीतिक लोकतन्त्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता, जब तक उसके आधार में सामाजिक

और आर्थिक लोकतन्त्र न हो।'' यदि समाज में सामाजिक समानता व्याप्त नहीं होगी तो राजनीतिक अधिकार केवल औपचारिक बन कर रह जाएँगे। यदि आर्थिक असमानता बनी रहेगी तो स्वतन्त्रता का लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित होकर रह जाएगा। इसलिए संविधान में इन तीनों प्रकार के न्याय को एक समान महत्त्व दिया गया है। यही भारतीय लोकतन्त्र की सबसे बड़ी ताकत और विशेषता है ।

डॉ. अम्बेडकर का सम्पूर्ण चिन्तन मानवता पर आधारित था। वे एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहाँ मनुष्य की पहचान उसके मनुष्य होने से होती हो न कि उसकी जाति या वर्ग सें। उन्होंने 'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो' (नागपुर भाषण 20जुलाई, 1942) का संदेश देकर पिछड़े और वंचित वर्गों में आत्मसम्मान और जागरूकता का भाव पैदा किया। बाबा साहेब के विचार आज भी समाज को समानता, बंधुत्व और न्याय की दिशा में प्रेरीत करते हैं।

भारत आज विभिन्न क्षेत्रों में निरन्तर प्रगति कर रहा है, फिर भी सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार जैसी गंभीर चुनौतियॉ आज भी समाज में व्याप्त है। इन सभी समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संविधान के मूल आदर्शों और भावनाओं को व्यावहारिक रूप में अपनाया जाए। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय केवल संवैधानिक शब्द नहीं है, अपितु एक सभ्य और मानवीय समाज की आधारशिला हैं। भारतीय संविधान में निहित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा, मानवता की रक्षा और लोकतन्त्र की मजबूती का मूल आधार है। डॉ. अम्बेडकर नें अपनी दूरदर्शी सोच और विचारों से एक ऐसे भारत की नींव रखी जहां प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, एक समान अवसर और न्याय प्राप्त हो। उनका योगदान केवल संविधान निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज के लिए मानवता और समानता का नया मार्ग प्रशस्त किया है।

6.3 कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन के संघर्षों, अनुभवों और अपने गहन अध्ययन तथा दूरदर्शी सोच के आधार पर एक ऐसे संविधान की रचना करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें

समाज के कमजोर, शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्त्व दिया गया।

डॉ. अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, अपितु वे महान समाज सुधारक, मानवतावादी चिंतक और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने जीवन में जातिगत भेदभाव और सामाजिक अपमान को बहुत नजदीक से देखा और सहन किया था। इसलिए वे भली–भाँति जानते थे कि जब तक समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त सम्मान, समान अवसर और न्याय प्राप्त नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का वास्तविक विकास होना संभव नहीं है। इसी कारण उनके द्वारा विभिन्न प्रावधानों से भारतीय संविधान को इस प्रकार का स्वरूप प्रदान किया गया, जो प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है।

भारतीय समाज में सदियों से व्याप्त जाति–व्यवस्था, छुआछूत और ऊँच–नीच की भावना ने कमजोर वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ बना दिया था। तब दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, मन्दिर, सार्वजनिक स्थानों तथा शासन व्यवस्था में भागीदारी से वंचित रखा जाता था। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने संविधान में समानता के अधिकार को अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। अनुच्छेद 14 से 18 तक सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया । विशेष रूप से अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया, जो भारतीय समाज में सामाजिक क्रान्ति का ऐतिहासिक कदम था। इससे दलितों और कमजोर वर्गों को सम्मान और समानता का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ।

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि केवल समान अधिकार घोषित कर देने से समाज में वास्तविक समानता स्थापित नहीं होगी। सदियों से वंचित और शोषित वर्गों को आगे बढाने के लिए उनको विशेष अवसर प्रदान करना आवश्यक है। अपनी इसी सोच के आधार पर उन्होंने आरक्षण व्यवस्था का समर्थन किया। संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरियों और

राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका उद्देश्य किसी वर्ग को विशेष सुविधा देना नहीं, अपितु सामाजिक न्याय स्थापित करना था। डॉ. अम्बेडकर का विश्वास था कि जब तक कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में बराबरी का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक लोकतन्त्र अधूरा रहेगा। संविधान निर्माण के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि भारत का लोकतन्त्र केवल राजनीतिक लोकतन्त्र नहीं रह जाए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र भी स्थापित हो। उन्होंने 25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में अपने अन्तिम भाषण में स्पष्ट कहा था कि **"राजनीतिक लोकतन्त्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता, जब तक उसके आधार में सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र न हो।"** डॉ. अम्बेडकर का यह विचार उनके मानवतावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।

मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी डॉ. अम्बेडकर के मानवतावादी दृष्टिकोण का परिणाम थी। उन्होंने संविधान में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, धर्म की स्वतन्त्रता और समान अवसर का अधिकार दिलवाया। विशेष रूप से अनुच्छेद 32 को उन्होंने 'संविधान की आत्मा' कहा, क्योंकि यह नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इससे कमजोर और शोषित वर्गों को न्याय प्राप्त करने की शक्ति मिली।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर महिलाओं के अधिकारों के भी प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की स्थिति से आँकी जा सकती है। डॉ. अम्बेडकर महिलाओं को समाज की प्रगति का आधार मानते थे। वे चाहते थे कि महिलाओं को शिक्षा, सम्पत्ति का अधिकार और प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त हों। उन्होंने हिन्दू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक संबंधी समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया। यद्यपि उस समय इसका विरोध हुआ, फिर भी महिलाओं के अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक पहल रही।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की पुस्तकों और भाषणों में उनका कथन **"मैं किसी समाज की प्रगति इस बात से मापता हूँ कि वहाँ की**

महिलाओं ने कितनी प्रगति की है।" देखने को मिलता है। उनका यह कथन उनके मानवतावादी और प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त डॉ. अम्बेडकर ने श्रमिकों और गरीब वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भी महत्त्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने श्रमिकों के लिए कार्य के निश्चित घंटे, उचित वेतन और श्रमिक कल्याण नीतियों का समर्थन किया। उनका मानना था कि आार्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है।

भारतीय समाज में सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता जैसी समस्याएँ आज भी मौजूद हैं। ऐसे समय में उनके विचार हमें सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से कमजोर वर्गों को न केवल अधिकार दिए हैं, बल्कि उन्हें सम्मान, आत्मविश्वास और समान अवसर भी प्रदान किए हैं। उन्होंने भारतीय संविधान का ऐसा लोकतांत्रिक ढाँचा तैयार किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, स्वतन्त्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर मिले।

6.4 लोकतन्त्र और बंधुत्व

भारत के इतिहास में डॉ. अम्बेडकर का नाम सामाजिक न्याय, समानता, लोकतन्त्र और मानवता के महान प्रतीक के रूप में लिया जाता है। वे केवल भारतीय संविधान के शिल्पकार ही नहीं थे, बल्कि करोड़ों शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों की उम्मीद के प्रकाश स्तम्भ भी थे। उन्होंने अपने जीवन के कठिन संघर्षों से यह अनुभव किया कि जिस समाज में मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता, वहाँ लोकतन्त्र केवल औपचारिकता बन कर रह जाता है। इसी कारण उन्होंने संविधान निर्माण के समय ऐसे सिद्धान्तों को महत्त्व दिया, जो भारत को केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी लोकतांत्रिक बना सके।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व" जैसे आदर्शों को शामिल करना डॉ. अम्बेडकर की दूरदृष्टि और

गहन चिंतन का ही परिणाम था। विशेष रूप से बन्धुत्व को उन्होंने लोकतन्त्र की 'आत्मा' माना। उनका विश्वास था कि केवल कानून बना देने से समाज में एकता नहीं आ पाएगी, बल्कि इसके लिए लोगों के बीच भाईचारे और मानवता की भावना विकसित करनी पड़ेगी। उनके अनुसार यदि समाज में बन्धुत्व नहीं होगा, तो स्वतन्त्रता और समानता भी सुरक्षित नहीं रह सकती। बन्धुत्व का मतलब केवल आपसी प्रेम और भाईचारा ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान, गरिमा और मानवता को स्वीकार करना भी हैं।

डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय समाज की सबसे बडी समस्या जाति व्यवस्था को माना। उनका विचार था कि जाति व्यवस्था समाज को विभाजित करती है और बन्धुत्व की भावना को नष्ट करती है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज जातियों मे बँटा रहेगा, तब तक सच्चा लोकतन्त्र स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने जाति प्रथा के उन्मूलन को राष्ट्रीय एकता और लोकतन्त्र के लिए आवश्यक बताया। अपनी पुस्तक **'जाति का विनाश'** (Annihilation of Cast) में उन्होने लिखा है कि **''जाति श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है।''** अपने इस कथन सें उन्होंने स्पष्ट किया कि जाति व्यवस्था लोगों को उनके गुण और क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि उन्हें जन्म के आधार पर बाँटती है। जिससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता और आर्थिक–सामाजिक विकास रूक जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'जाति का विनाश' में लिखा है कि **''जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि वे समाज में अलगाव उत्पन्न करती है।''** इसी कारण उन्होंने सामाजिक सुधार को राजनीतिक सुधार से अधिक महत्त्वपूर्ण माना। उनके विचारों से स्पष्ट है कि वे सामाजिक समरसता को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे।

डॉ. अम्बेडकर ने लोकतन्त्र को केवल चुनाव और सरकार तक ही सीमित नहीं माना। उनके अनुसार लोकतन्त्र का वास्तविक आधार सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और बन्धुत्व है। जब तक समाज में ऊँच–नीच, भेदभाव और शोषण बना रहेगा, तब तक लोकतन्त्र कमजोर होता रहेगा। इसलिए उन्होंने संविधान के माध्यम से ऐसे मूल्यों की स्थापना की जो भारत को एक समतामूलक और मानवतावादी राष्ट्र बना सकें।

डॉ. अम्बेडकर नें अपनी पुस्तक 'जाति का विनाश' (Annihilation of Cast) में लोकतन्त्र के बारे में कहा है कि **''लोकतन्त्र केवल शासन का एक रूप नहीं है, बल्कि यह संयुक्त जीवन जीने की पद्धति है''**। उनके अनुसार लोकतन्त्र का वास्तविक अर्थ है– **''ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व का समन्वय हो''**। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राजनीतिक लोकतन्त्र तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि समाज में सामाजिक और आर्थिक लोकतन्त्र स्थापित नही हो जाए। उनके अनुसार यदि समाज में समानता नहीं होगी, तो लोकतन्त्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। इसलिए उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान किए जो समाज के कमजोर, दलित, शोषित और वंचित वर्गों को न्याय प्रदान कर सके।

डॉ. अम्बेडकर के विचार उनकी दूरदृष्टि को दर्शाते है। वे समझते थे कि भारत जैसे विविधताओं वाले समाज में लोकतन्त्र की सफलता तभी संभव है, जब समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर और सम्मान मिले। डॉ. अम्बेडकर का लोकतन्त्र व्यक्ति की गरिमा पर आधारित था। वे चाहते थे कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वयं को राष्ट्र निर्माण का समान भागीदार महसूस करे। उनके अनुसार लोकतन्त्र का उद्देश्य केवल शासन परिवर्तन नहीं, अपितु समाज परिवर्तन होना चाहिए।

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। इसकी सफलता के पीछे डॉ. भीमराव अम्बेडकर की दूरदृष्टि, गहन चिंतन और संवैधानिक सोच का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो विविधताओं से भरे भारत को एक सूत्र में बाँधता है।

आज जब समाज में जातिवाद, भेदभाव, हिंसा और असहिष्णुता जैसी चुनौतियाँ दिखाई देती है, तब डॉ. अम्बेडकर के लोकतन्त्र और बन्धुत्व के विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाते है।

6.5 मानवता की दृष्टि से संविधान

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के साथ–साथ मानवता, समानता, न्याय और बन्धुत्व की महान भावना का प्रतीक भी है। यह केवल शासन संचालन का कानूनी दस्तावेज मात्र नहीं, अपितु करोड़ों लोगों के अधिकारों, सम्मान और गरिमा की रक्षा

करने वाला सामाजिक दर्शन है। संविधान का उद्देश्य केवल सरकार की शक्तियों का निर्धारण करना नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान और स्वतन्त्रता प्राप्त हो।

भारतीय संविधान की रचना ऐसे समय में हुई जब देश सदियों की सामाजिक विषमता, जातिगत भेदभाव, आर्थिक शोषण और औपनिवेशिक दमन से गुजर रहा था। समाज में ऊँच–नीच, अस्पृश्यता, गरीबी और असमानता बहुत गहराई तक फैली हुई थी। ऐसे समय में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसे संविधान की कल्पना की जो न केवल शासन की व्यवस्था करें, बल्कि मानवता की रक्षा और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करें।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ''न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और बंधुता'' जैसे शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि भारतीय संविधान का आधार मानवीय मूल्य हैं। प्रस्तावना में जहाँ प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात कही गई है। वहीं इसके साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतन्त्रता प्रदान करने का संकल्प भी व्यक्त किया गया है। यह मानवता की उस भावना को दर्शाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो।

मानवता का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व समानता है। जब तक समाज में समानता नहीं होगी, तब तक सच्ची मानवता स्थापित नहीं हो सकेगी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अनुसार भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, भाषा, लिंग या वर्ग से सम्बन्धित हो, कानून की दृष्टि में सभी एक समान है।

अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबन्धित किए जाने का प्रावधान किया गया है। जो कि मानवता की उस भावना को मजबूत करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक समान सम्मान दिया जाता है। भारतीय संविधान यह स्वीकार करता है कि किसी मनुष्य का महत्त्व उसकी जाति या जन्म से निर्धारित नहीं होता है बल्कि उसके व्यक्तित्व और कृतित्व से निर्धारित होता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक समानता को लोकतन्त्र की आत्मा कहा। उनका मानना था कि यदि समाज में ऊँच–नीच बनी रहेगी, तो लोकतन्त्र केवल एक औपचारिक व्यवस्था बन कर रह जाएगा। इसलिए भारतीय संविधान में समानता को विशेष महत्त्व दिया गया।

भारतीय संविधान का सबसे बड़ा और मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। सदियों तक समाज के अनेक वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े रहे है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और महिलाएँ अनेक प्रकार से भेदभाव का सामना करते रहे है। भारतीय संविधान नें इन वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान कर इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। संविधान में प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था इसी सामाजिक न्याय भावना का परिणाम है। शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान कर संविधान ने कमजोर वर्गों को आगे बढने का अवसर प्रदान किया। यह प्रावधान केवल एक सरकारी नीति ही नहीं, बल्कि मानवता और न्याय भावना का प्रतीक भी है।

अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। यह प्रावधान भारतीय समाज में मानवता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। सदियों से जिन लोगों को छुआ तक नहीं जाता था, संविधान ने उन्हें समान नागरिक अधिकार प्रदान किए। इससे प्रत्येक नागरिक तक यह संदेश पहुँचा कि हर मनुष्य एक समान सम्मान और गरिमा प्राप्त करने का अधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार मानवता के सबसे मजबूत स्तम्भ है। ये मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते है।

अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान करता है तथा व्यक्ति को अपने विचार रखने, बोलने और समाज में अपनी भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान करता है।

अनुच्छेद 21 नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह भारतीय संविधान का सबसे अधिक मानवीय प्रावधान माना जाता है जो केवल जीवित रहने का अधिकार ही नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है।

समय के साथ विभिन्न संशोधनों द्वारा इस अनुच्छेद में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण और निजता जैसे अन्य अधिकारों को भी शामिल किया गया। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन नहीं हो। यह प्रावधान मानवता की उस सोच को दर्शाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि होती है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ''बंधुता'' शब्द का विशेष महत्व है, जिसका अर्थ है– 'सभी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारे और पारस्परिक सम्मान की भावना'। यदि समाज में केवल स्वतन्त्रता और समानता हो, लेकिन बंधुत्व नहीं हो, तो समाज में संघर्ष और विभाजन जैसे तत्व बढ़ जाएँगें। इसलिए भारतीय संविधान में 'बन्धुत्व' को राष्ट्रीय एकता और मानवता का आधार माना गया है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि लोकतन्त्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें मनुष्य–मनुष्य के बीच सम्मान और सहयोग हो। उन्होंने सामाजिक बन्धुत्व को राष्ट्र निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्त्व माना है।

भारतीय संविधान महिलाओं को भी समान अधिकार प्रदान करता है। इसमें शिक्षा, रोजगार, सम्पत्ति और राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया है। तथा ये महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का रक्षक है।

बच्चों, वृद्धों, दिव्यांगजनों और श्रमिकों के संरक्षण के लिए भी भारतीय संविधान में अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तथा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों ने भी समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण पर विशेष बल दिया गया है।

भारतीय संविधान की ये समस्त व्यवस्थाएँ मानवता की उस संवेदनशील भावना को दर्शाती हैं, जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और उसके सम्मान को विशेष महत्त्व दिया जाता है।

भारतीय संविधान ऐसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है जहाँ लोकतन्त्र का अर्थ केवल चुनाव कराना ही नहीं है, बल्कि जनता को सम्मान और अधिकार देना भी है। भारतीय संविधान देश की जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है, और सरकार को जनता के

प्रति उत्तरदायी बनाता है। लोकतन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति की आवाज का महत्व होता है। वास्तविक अर्थों में यही मानवता की सच्ची पहचान है, जहॉं समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने, आवाज उठाने और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर और अधिकार प्राप्त होता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने लेखों, भाषणों और पुस्तकों के माध्यम से बार–बार चेताया है कि यदि सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रही तो राजनीतिक लोकतन्त्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सामाजिक लोकतन्त्र को राजनीतिक लोकतन्त्र का आधार माना है।

हमारा भारतीय संविधान मानवता की दृष्टि से एक महान दस्तावेज है जो कि केवल कानूनों का संग्रह ही नहीं है, अपितु मानवीय मूल्यों का जीवंत प्रतीक भी है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतन्त्रता, न्याय और सम्मान प्रदान कर मानवता की स्थापना करता है। भारतीय संविधान हमें यह सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके निवासरत नागरिकों की मानवता, भाईचारा और समानता में निहित होती है। जब समाज में सभी लोगों को समान अवसर और सम्मान मिलता है, तभी वास्तविक अर्थों में सच्चा लोकतन्त्र और मानवता स्थापित हो सकती है। निःसन्देह भारतीय संविधान मानवता का संरक्षक, सामाजिक न्याय का मार्गदर्शक और राष्ट्र निर्माण का आधार स्तम्भ है।

संविधान निर्माण में अम्बेडकर का योगदान इस बात का प्रमाण है कि वे एक सच्चे मानवतावादी थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत का लोकतन्त्र केवल शासन की प्रणाली न होकर न्याय, समानता और बंधुत्व पर आधारित मानवता का प्रतीक बने।

" राजनीतिक अत्याचार की तुलना में सामाजिक अत्याचार कहीं अधिक भयानक है। "

–: डॉ. भीमराव अम्बेडकर :–

(Dr. Baba sahib Ambedkar: Writing and Speeches)

अध्याय 7 :– महिला सशक्तिकरण और मानवता

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदियों तक रूढ़ियों, भेदभाव और असमानताओं से ग्रस्त रही है। सदियों तक महिलाओं को शिक्षा, सम्पत्ति, निर्णय लेने और सामाजिक भागीदारी के अधिकारों से वंचित रखा गया। ऐसे समय में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण संघर्ष किया। उन्होंने केवल संविधान के निर्माण में ही नहीं, अपितु मानवता और समानता की स्थापना में भी महिलाओं को केन्द्र में रखा। उनके विचारों में महिला सशक्तिकरण न केवल अधिकार प्राप्ति का विषय था, अपितु एक मानवीय और न्यायपूर्ण समाज की आवश्यकता भी थी।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति उसमें महिलाओं की स्थिति से मापी जा सकती है। उन्होंने कहा था कि **'मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है'।** उनका यह कथन महिलाओं के प्रति उनके सम्मान और मानवतावादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक समाज में वास्तविक लोकतन्त्र और मानवता की स्थापना की कल्पना नहीं की जा सकती।

डॉ. अम्बेडकर ने महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को सबसे महत्त्वपूर्ण साधन माना। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने, सामाजिक बन्धनों को तोड़ने और अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा दलित और वंचित वर्ग की महिलाओं को विशेष रूप से जागरूक करने का कार्य किया गया। बाबा साहेब के नेतृत्व में अनेक महिलाओं नें सामाजिक आन्दोलनों में भाग लिया और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलन्द की।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होनें संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धान्तों को शामिल कर महिलाओं को पुरूषों के समान संवैधानिक अधिकार प्रदान किए। भारतीय संविधान

के अनुच्छेद 14, 15, और 16 द्वारा महिलाओं को असमानता और भेदभाव से सुरक्षा प्रदान की गई हैं। डॉ. अम्बेडकर के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में समान अवसर प्राप्त हों। यह उनके मानवतावादी विचारों का परिणाम ही था कि भारतीय लोकतन्त्र में महिलाओं की स्वतन्त्रता और गरिमा को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो सका।

हिन्दू कोड बिल के रूप में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे बड़ा प्रयास किया गया। इस बिल के माध्यम से वे महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक में पुरूषों की तरह समानता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे। लेकिन उस समय समाज के अनेक रूढ़ीवादी वर्गों ने इसका भरपूर विरोध किया, लेकिन डॉ. अम्बेडकर महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न पर अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी समाज में महिलाओं को न्याय और बराबरी का हक दिए बिना सामाजिक सुधार संभव नहीं है। हिन्दू कोड बिल महिलाओं के अधिकारों की दिशा में उस समय का एक ऐतिहासिक कदम था।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में विचार केवल कानून तक सीमित नहीं थे। वे महिलाओं की सामाजिक गरिमा, आत्मसम्मान और स्वतन्त्र पहचान के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने महिलाओं से अंधविश्वास, छुआछूत और सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध संघर्ष करने और उन्हें त्यागने का आह्वान किया। उनका मत था कि महिलाओं को अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने चाहिए और समाज में बराबरी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण मानवता, स्वतन्त्रता और बंधुत्व के सिद्धान्तों पर आधारित था।

मानवता के सन्दर्भ में अम्बेडकर के विचार अत्यन्त व्यापक थे। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे, जहाँ किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता को उन्होंने मानवता का मूल आधार माना। उनके अनुसार जिस समाज में महिलाएँ सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानित होगी, वही समाज वास्तविक रूप से सभ्य और प्रगतिशील कहलाएगा।

आज के समय में महिला सशक्तिकरण की चर्चा सम्पूर्ण विश्व में हो रही है, लेकिन डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने बहुत पहले ही इसकी आवश्यकता को समझ लिया था। उनके विचार आज भी महिलाओं की समानता और अधिकारों की लड़ाई में प्रेरणा प्रदान करते हैं। शिक्षा, रोजगार, राजनीति और सामाजिक जीवन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, बाबा साहेब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने महिला सशक्तिकरण को मानवता और सामाजिक न्याय से जोड़ कर देखा। उन्होंने महिलाओं को केवल सहानुभूति ही नहीं, बल्कि पुरूषों के समान अधिकार और सम्मान दिलाने का कार्य भी किया।

7.1 अम्बेडकर के महिला संबंधी विचार

अम्बेडकर का मानना था कि महिलाएँ केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं, बल्कि समाज की परिवर्तनकारी शक्ति है। उन्होंने कहा था कि स्त्रियों की दासता केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए पतन का कारण है। उनका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, स्वतंत्रता और समान अवसर प्रदान करना था। उन्होंने महिलाओं को समाज की कमजोर इकाई नहीं, बल्कि परिवर्तन और प्रगति की शक्ति माना। उनके विचारों में महिला सशक्तिकरण सामाजिक न्याय, समानता और मानवता की स्थापना का आधार था। वे मानते थे कि जिस समाज में महिलाएँ शिक्षित, सुरक्षित और सम्मानित होगी, वही समाज वास्तविक रूप में सभ्य और विकसित कहलाएगा।

डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे शिक्षित बने, संगठित रहें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। उनके अनुसार अशिक्षा महिलाओं की गुलामी का सबसे बड़ा कारण थी। इसलिए उन्होंने दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग की महिलाओं को विशेष रूप से शिक्षा के लिए प्रेरीत किया।

डॉ. अम्बेडकर महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार देने के पक्षधर थे। उन्होंने भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता, स्वतन्त्रता और न्याय के अधिकार दिलवानें में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 महिलाओं को समान अवसर उपलब्ध करवा

कर भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह उनके लोकतांत्रिक और मानवतावादी विचारों का ही परिणाम था कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन, शिक्षा और रोजगार में समान भागीदारी का अधिकार मिला।

महिला अधिकारों के लिए उनका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयास हिन्दू कोड बिल था। इस विधेयक के माध्यम से वे महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार, विवाह और तलाक के मामलों में पुरूषों के समान समानता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे। उस तात्कालिक समय में यह विचार अत्यन्त क्रान्तिकारी था, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था। समाज के रूढ़ीवादी वर्गों ने इसका विरोध किया, लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न पर समझौता नही किया और उन्होंने कानून मन्त्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका यह कदम उनके महिला सम्मान और समानता के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

अम्बेडकर ने महिलाओं पर होने वाले सामाजिक अन्याय और कुरीतियों का भी पुरजोर विरोध किया। वे बाल विवाह, छुआछूत, पर्दा प्रथा और महिलाओं के शोषण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये कुरीतियाँ महिलाओं की स्वतन्त्रता और उनके आत्मसम्मान को नष्ट करती हैं। उन्होंने महिलाओं को अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाने और सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।

डॉ. अम्बेडकर का महिला संबंधी दृष्टिकोण केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं था। वे महिलाओं की सामाजिक गरिमा और आत्म सम्मान को अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार महिला केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की समान रूप से भागीदार है। वे चाहते थे कि महिलाएँ आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन के निर्णय स्वयं लें। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के महिलाओं सम्बन्धी विचार समानता, स्वतन्त्रता, न्याय और मानवता पर आधारित थे। उन्होंने महिलाओं को समाज में सम्मान दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके विचार आज भी भारतीय समाज को यह संदेश देते हैं कि किसी राष्ट्र की वास्तविक उन्नति महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और स्वतन्त्रता पर निर्भर करती है।

7.2 कानून और सुधारों में योगदान

भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की स्थापना में डॉ. अम्बेडकर का योगदान भूला नहीं जा सकता। वे केवल भारतीय संविधान के निर्माता ही नहीं, बल्कि मानवतावादी चिंतक, समाज सुधारक और महान विधिवेत्ता भी थे। उन्होंने कानून को समाज परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम माना। उनका विश्वास था कि केवल सामाजिक उपदेशों से नहीं, बल्कि मजबूत कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से ही समाज में वास्तविक समानता स्थापित की जा सकती है। इसलिए उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन को सामाजिक सुधारों और न्यायपूर्ण कानूनों के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में केन्द्रीय भूमिका निभाई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया जो प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और स्वतन्त्रता प्रदान करता है। उन्होंने संविधान में न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धान्तों को विशेष महत्त्व दिया। उनका उद्देश्य ऐसा लोकतांत्रिक भारत बनाना था जहाँ किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो।

संविधान के माध्यम से अम्बेडकर ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की। संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया। अनुच्छेद 16 द्वारा समान अवसर का अधिकार एवं अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त कर उसे अपराध घोषित किया गया। ये समस्त प्रावधान भारतीय समाज में सामाजिक क्रान्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम थे। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि जब तक समाज में छुआछूत और भेदभाव रहेगा, तब तक लोकतन्त्र सफल नहीं हो सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किए। उन्होंने विधि मंत्री के रूप में हिन्दू कोड बिल (1948) प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकार देना था। उस समय का यह अत्यंत

क्रान्तिकारी कदम था, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं था। यद्यपि रूढ़िवादी वर्गों के विरोध के कारण यह विधेयक उस समय पूर्ण रूप से पारित नहीं हो सका, फिर भी इस विधेयक ने आगे चलकर महिला अधिकारों से संबंधित अनेक सुधारों की नींव रखी, और बाद में उन्हीं के सिद्धान्तों पर आधारित कई कानून बने। यह अम्बेडकर की दूरदृष्टि और महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

अम्बेडकर ने श्रमिकों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भी अनेक सुधार किये। श्रम मन्त्री के रूप में उन्होंने काम के घंटे निर्धारित किए, मजदूरों के लिए सवैतनिक अवकाश, मातृत्व लाभ, और श्रमिक कल्याण संबंधी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने श्रमिकों के मानवाधिकारों और सम्मानजनक जीवन को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना। उनके प्रयासों से मजदूर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियाँ प्राप्त हुई।

सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में भी अम्बेडकर का योगदान अत्यंत व्यापक था। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का कठोर विरोध किया। उनकी प्रसिद्ध कृति 'जाति का विनाश' में उन्होंने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई बताते हुए कहा है कि, 'जाति ने सार्वजनिक भावना को नष्ट कर दिया है।' उनके द्वारा जातिवाद को राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बताया गया है। उन्होंने जाति व्यवस्था को मानवता, समानता और लोकतन्त्र के विरूद्ध माना था। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों को आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी ।

डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक सुधार का सबसे बड़ा साधन माना। उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा के प्रसार और सामाजिक जागरूकता पर विशेष बल दिया। उनका प्रसिद्ध संदेश– **"शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो"**(नागपुर भाषण), आज भी सामाजिक परिवर्तन का प्रेरणास्रोत है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कानून और सामाजिक सुधारों के माध्यम से भारत को एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक दिशा प्रदान की। उन्होंने संविधान और कानूनों के जरिए समाज के कमजोर वर्गों,

महिलाओं और श्रमिकों को अधिकार और सम्मान दिलाने का कार्य किया। उनका योगदान केवल भारतीय इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवता, समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों का वैश्विक उदाहरण है ।

7.3 महिलाओं की समानता की दिशा में प्रयास

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति लम्बे समय तक असमानता, सामाजिक बंधनों, और अधिकारों की कमी से प्रभावित रही है। महिलाओं को शिक्षा, सम्पत्ति, रोजगार और सामाजिक स्वतन्त्रता के अवसर पुरूषों की तुलना में कम प्राप्त थे। ऐसे समय में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं की समानता और अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया। उन्होंने महिलाओं को समाज की प्रगति और लोकतन्त्र की आाधारशिला माना। उनके विचारों में महिलाओं की समानता केवल सामाजिक सुधार का विषय नहीं थी, बल्कि मानवता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी आवश्यक थी।

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति उस समाज में महिलाओं की स्थिति से मापी जा सकती है। उन्होंने कहा था कि "मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है"। उनका यह कथन महिलाओं के प्रति उनके मन में सम्मान और समानता की भावना को स्पष्ट करता है। वे मानते थे कि जब तक महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्राप्त नहीं होंगे, तब तक समाज में वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित नहीं हो सकता।

महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए अम्बेडकर ने महिलाओं की शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया। उनका मानना था कि शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक और सशक्त बनाती है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित बनने, अपने अधिकारों को समझने और सामाजिक बंधनों के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से दलित और वंचित वर्ग की महिलाओं को उन्होंने सामाजिक चेतना और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का संदेश दिया। उनके आन्दोलनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि वे महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन की धुरी मानते थे।

डॉ. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान के अनुच्छेद 14 के माध्यम से सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया तथा अनुच्छेद 16 के द्वारा महिलाओं को रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर प्रदान किए गए। यह उनके समानतावादी दृष्टिकोण का परिणाम था कि भारतीय महिलाओं को संवैधानिक रूप से बराबरी का दर्जा मिला।

महिलाओं की समानता कि दिशा में उनका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयास हिन्दू कोड बिल था। इस विधेयक के माध्यम से वे महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार, विवाह में समानता, तलाक का अधिकार दिलाना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे। उस समय भारतीय समाज में महिलाओं को इन अधिकारों से वंचित रखा जाता था। अम्बेडकर ने इस अन्याय को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। यद्यपि समाज के रूढ़ीवादी वर्गों ने इसका विरोध किया, फिर भी वे अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहे। महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न पर समझौता न करते हुए उन्होंने कानून मन्त्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया। यह उनके महिला समानता के प्रति समर्पण का प्रमाण है।

अम्बेडकर ने महिलाओं पर होने वाले सामाजिक अत्याचारों और कुरीतियों का भी विरोध किया। वे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत और महिलाओं के शोषण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये कुरीतियाँ महिलाओं की स्वतन्त्रता और आत्म सम्मान को नष्ट करती हैं। उन्होंने महिलाओं से आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने और अन्याय के विरूद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया।

डॉ. अम्बेडकर का विचार था कि महिला और पुरूष समाज के दो समान स्तम्भ हैं। यदि महिलाओं को समान अवसर नहीं मिलेंगे तो समाज का सन्तुलित विकास सम्भव नहीं होगा। वे महिलाओं को केवल परिवार तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि राजनीति, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में उनकी सक्रिय भागीदारी के पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को विशेष महत्त्व दिया।

आज भारतीय समाज में महिलाओं की बढ़ती शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी डॉ. अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता को सिद्ध करती है। उनके प्रयासों ने महिलाओं को न केवल कानूनी अधिकार दिए हैं बल्कि आत्मसम्मान और स्वतन्त्र पहचान का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होंने महिला श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा, प्रसूति अवकाश और न्यायपूर्ण वेतन की व्यवस्था पर बल दिया। दलित और शोषित महिलाओं के उत्थान में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

7.4 मानवता और महिला अधिकार

मानवता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समान आदर, न्याय और संवेदनशीलता रखना। किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वहाँ महिलाओं को कितना सम्मान, सुरक्षा और अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय समाज में लम्बे समय तक महिलाओं को सामाजिक भेदभाव, अशिक्षा और असमानता का दंश झेलना पड़ा था। ऐसे समय मे डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महिला अधिकारों को मानवता, सामाजिक न्याय और लोकतन्त्र का आधार माना।

अम्बेडकर के अनुसार, यदि महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते तो मानवता अधूरी है। समाज तभी मानवीय कहलाएगा जब उसमें स्त्री और पुरूष दोनों को समान आदर मिले। उन्होंने इस सोच को भारतीय संविधान में भी स्थान दिया, जहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव निषिद्ध किया गया।

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में समानता, स्वतन्त्रता और न्याय के सिद्धान्तों को शामिल किया। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने हिन्दू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को सम्पत्ति, विवाह और तलाक से सम्बन्धित अधिकार देने का प्रयास किया। यह उस समय महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में ऐतिहासिक कदम था।

अम्बेडकर का उद्देश्य महिलाओं को केवल कानूनी अधिकार देना ही नहीं था, बल्कि समाज में मानवीय सन्तुलन और न्याय स्थापित करना था। वे चाहते थे कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार समाप्त हों और उन्हें गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर मिले।

हालाँकि मानवता और न्याय का सिद्धान्त यह भी कहता है कि किसी भी अधिकार का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ होना चाहिए। आधुनिक समय में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए बनाए गए कुछ कानूनों के दुरूपयोग की घटनाएँ भी सामने आई हैं। उदाहरण के लिए, दहेज प्रताड़ना से संबंधित कानूनों या घरेलू हिंसा कानूनों के कुछ मामलों में झूठे आरोप लगाए जाने की शिकायतें न्यायालयों में दर्ज हुई हैं। भारत के उच्चतम नयायालय ने भी समय–समय पर यह कहा है कि किसी भी कानून का दुरूपयोग न्याय की भावना के विपरीत है।

यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि ऐसे मामले सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि अधिकांश महिलाएँ आज भी वास्तविक भेदभाव और हिंसा का सामना करती हैं। फिर भी कानून का गलत उपयोग समाज में अविश्वास और तनाव उत्पन्न कर सकता है। डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण न्याय और मानवता पर आधारित था, इसलिए वे किसी भी प्रकार के अन्याय– चाहे वह पुरूषों के विरूद्ध हो या महिलाओं के विरूद्ध– का समर्थन नहीं करते। उनके विचारों का मूल आधार समानता, सन्तुलन और निष्पक्षता था।

अम्बेडकर यह मानते थे कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। यदि अधिकारों का उपयोग प्रतिशोध, व्यक्तिगत लाभ या झूठे आरोपों के लिए किया जाए, तो इससे कानून और सामाजिक विश्वास दोनों कमजोर होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि महिला अधिकारों की रक्षा के साथ–साथ न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष और संतुलित बनी रहे। समाज में ऐसी व्यवस्था हो जहाँ वास्तविक पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिले और किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं हो।

मानवता का सही अर्थ यही है कि समाज में स्त्री और पुरूष दोनों को समान आदर और न्याय प्राप्त हो। महिला अधिकारों की आवश्यकता इसलिए है कि कालान्तर में महिलाओं को अनेक अन्याय सहने पड़े थे।

लेकिन इन अधिकारों का उद्देश्य किसी दूसरे वर्ग के विरूद्ध अन्याय करना नहीं हैं। डॉ. अम्बेडकर का सपना ऐसा समाज था जहॉ अधिकार और कर्तव्य दोनों सन्तुलित हों तथा कानून का उपयोग समाज में समानता और सद्भाव स्थापित करने के लिए किया जाए।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने महिला अधिकारों को मानवता और सामाजिक न्याय से जोड़ा। उन्होंने महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर दिलाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनके विचारों का मूल उद्देश्य न्यायपूर्ण और संतुलित समाज की स्थापना था। इसलिए आज आवश्यकता है कि महिला अधिकारों की रक्षा के साथ–साथ कानूनों का उपयोग सत्य, नैतिकता और मानवता की भावना के अनुरूप किया जाए।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अम्बेडकर का कार्य उन्हें एक सच्चा मानवतावादी चिंतक सिद्ध करता है। उन्होंने महिलाओं को समानता दिलाने के लिए संघर्ष किया और यह सन्देश दिया कि जब तक समाज महिलाओं को सम्मान और अधिकार नहीं देगा, तब तक वास्तविक मानवता की स्थापना होना संभव नहीं है।

अध्याय 8 :– शिक्षा और मानवता

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन और विचारों में शिक्षा को केन्द्रीय स्थान प्राप्त है। उनके अनुसार शिक्षा केवल पढ़ने लिखने का माध्यम नहीं, बल्कि मनुष्य को आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और समानता का बोध कराने वाली शक्ति है । उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से यह समझ लिया था कि जिस समाज में शिक्षा का अभाव होता है, वहाँ अन्याय, शोषण और भेदभाव अधिक बढ़ते हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और मानव मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन बताया। उनके अनुसार शिक्षा वह शक्ति है जो मनुष्य को अज्ञान, अंधविश्वास, शोषण और भेदभाव से मुक्त कर सकती है ।

डॉ. अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, परिश्रम और शिक्षा के महत्व का प्रेरणादायक उदाहरण है। सामाजिक भेदभाव और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्रप्त की और यह सिद्ध किया कि शिक्षा मनुष्य को हर प्रकार की गुलामी से मुक्त कर सकती है। उनका प्रसिद्ध

संदेश– **'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो,'**(बहिष्कृत हितकारिणी सभा एवं नागपुर भाषण, 20 जुलाई, 1942 का आदर्श वाक्य)– केवल एक नारा नहीं, बल्कि मानव मुक्ति का मार्ग है।

मानवता का अर्थ है– प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना और उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देना। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि जब तक समाज के सभी वर्गों को समान शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वास्तविक मानवता स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, श्रमिकों और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। उनके अनुसार शिक्षा ही वह साधन है जो समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाती है।

डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं की शिक्षा को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनका विचार था कि यदि महिलाएँ शिक्षित होगी तो पूरा समाज प्रगति करेगा। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उन्हें सामाजिक बन्धनों से मुक्त कराने के लिए अनेक प्रयास किए। उनके विचारों में शिक्षा का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि नैतिकता, सहिष्णुता और सामाजिक समानता की भावना विकसित करना भी था।

उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं का विरोध करते हुए कहा कि अशिक्षा इन बुराइयों को बढ़ावा देती है। शिक्षा मनुष्य को सही और गलत में अन्तर करना सिखाती है तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। यही कारण है कि डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक लोकतन्त्र और मानवता की आधारशिला माना।

आज के समय में भी डॉ. अम्बेडकर के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। आधुनिक समाज में तकनिकी प्रगति के बावजूद अनेक लोग शिक्षा और समान अवसरों से वंचित हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाई जाए, ताकि समानता, न्याय और मानवता के आदर्शों को मजबूत किया जा सके।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार– **"शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा।"** अर्थात शिक्षा मनुष्य में साहस, जागरूकता और अन्याय के विरूद्ध संघर्ष करनें की शक्ति उत्पन्न करती है।

बाबा साहेब के अनुसार शिक्षा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को जागरूक, स्वतंत्र और मानवीय बनाती है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा का प्रसार ही सच्ची मानवता का मार्ग है और यही डॉ. अम्बेडकर के विचारों का मूल संदेश भी है।

8.1 अम्बेडकर का शिक्षा दर्शन

डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन में सामाजिक अपमान और कठिन परिस्थितियों का सामना किया, परन्तु उन्होंने शिक्षा के बल पर स्वयं को स्थापित किया। इसी कारण वे शिक्षा को समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान का सबसे बड़ा माध्यम मानते थे। उनका विश्वास था कि जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, तब तक समानता और लोकतन्त्र की स्थापना संभव नहीं है।

उनका प्रसिद्ध संदेश –**'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो,'**(बहिष्कृत हितकारिणी सभा एवं नागपुर भाषण, 20 जुलाई, 1942 का आदर्श वाक्य)– उनके शिक्षा दर्शन का मूल आधार है। इस संदेश में उन्होंने शिक्षा को जागरूकता का प्रथम चरण माना। उनके अनुसार शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकता है तथा अन्याय के विरूद्ध आवाज उठा सकता है।

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य में नैतिकता, विवेक, आत्मसम्मान और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना भी होना चाहिए। वे ऐसी शिक्षा व्यवस्था के पक्षधर थे जो व्यक्ति को स्वतन्त्र चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करे।

उन्होंने विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। उनका विचार था कि समाज का कोई भी वर्ग यदि शिक्षा से वंचित रहता है, तो वह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा रह जाता है। इसलिए वे शिक्षा के समान अवसरों के समर्थक थे। महिलाओं की शिक्षा के विषय में उनका दृष्टिकोण अत्यन्त प्रगतिशील था । उनका मानना था कि महिला शिक्षित होगी तो परिवार और समाज दोनों प्रगति करेंगे।

डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को लोकतन्त्र की आधारशिला भी माना । उनके अनुसार लोकतन्त्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जीवन की ऐसी पद्धति है जिसमें समानता, स्वतन्त्रता, और बंधुत्व की भावना हो। यह भावना तभी विकसित हो सकती है जब समाज शिक्षित और जागरूक हो।

उनका शिक्षा दर्शन मानवता से गहराई से जुड़ा हुआ था। वे चाहते थे कि शिक्षा के माध्यम से समाज में जाति, छुआछूत और ऊँच–नीच जैसी बुराइयों का अन्त हो तथा सभी मनुष्यों को समान आदर प्राप्त हो। इसलिए उनका शिक्षा दर्शन केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं था, बल्कि सम्पूर्ण समाज के नैतिक और सामाजिक उत्थान से संबंधित था। डॉ. अम्बेडकर का शिक्षा दर्शन आधुनिक भारत के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और प्रासंगिक है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, मानवता और समानता की कुंजी माना। आज भी उनके विचार समाज को यह संदेश देते हैं कि शिक्षित समाज ही न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और मानवीय समाज का निर्माण कर सकता है।

8.2 शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और आत्मसम्मान का सबसे शक्तिशाली साधन माना। उनके अनुसार समाज में फैली असमानता, छुआछूत, जातिवाद, अंधविश्वास और शोषण जैसी बुराइयों को समाप्त करने का सबसे प्रभावी मार्ग शिक्षा है। शिक्षा मनुष्य को केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि उसे जागरूक, आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के प्रति सचेत बनाती है। अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा से ही व्यक्ति अपनी बेड़ियाँ तोड़ सकता है। उनके अनुसार यदि वंचित और शोषित वर्ग शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो वे अपनी हीनता और गुलामी से मुक्त होकर समाज में सम्मानपूर्वक स्थान पा सकेंगें ।

सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की पुरानी और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं में सुधार लाकर समानता, न्याय और मानवता की स्थापना करना। यह परिवर्तन तब संभव होता है जब समाज के लोग शिक्षित होकर सही और गलत का अन्तर समझने लगते हैं। अशिक्षा के कारण व्यक्ति रूढ़ियों और अंधविश्वासों में फँसा रहता है, जबकि शिक्षा उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वतन्त्र सोच प्रदान करती है।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा की शक्ति को स्वयं अनुभव किया। कठिन सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज के सामने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि शिक्षा मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। उनका प्रसिद्ध संदेश – **'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो,'**(बहिष्कृत हितकारिणी सभा एवं नागपुर भाषण, 20 जुलाई,1942 का आदर्श वाक्य)– सामाजिक परिवर्तन का आधार माना जाता है।

शिक्षा समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है, तब वह अपने साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव का विरोध करने की क्षमता प्राप्त करता है। इसी कारण डॉ. अम्बेडकर ने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि जब समाज का हर वर्ग शिक्षित होगा, तभी वास्तविक लोकतन्त्र और समानता स्थापित हो सकेगी।

महिला शिक्षा भी सामाजिक परिवर्तन का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षित महिला परिवार और समाज दोनों को जागरूक बनाती है। वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा प्रदान करती है, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ अधिक जागरूक और प्रगतिशील बनती हैं। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए।

अम्बेडकर ने अनेक शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की। उन्होंने अस्पृश्यों ओर गरीब वर्गों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने दलित समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता उत्पन्न की, जिससे वे अन्याय और शोषण के विरूद्ध खड़े हो सकें।

शिक्षा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत और जातीय भेदभाव जैसी समस्याएँ शिक्षा के अभाव में अधिक बढ़ती हैं। शिक्षित समाज इन कुरीतियों का विरोध करता है और समानता और मानवता की भावना को अपनाता है ।

आज के आधुनिक युग में शिक्षा का महत्त्व और भी बढ़ गया है। तकनिकी और वैज्ञानिक विकास के साथ समाज को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो जागरूक, जिम्मेदार और मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले हो। यदि शिक्षा सभी तक समान रूप से पहुँचे, तो गरीबी, भेदभाव और सामाजिक अन्याय काफी हद तक कम किया जा सकता है। शिक्षा सामाजिक परीवर्तन की आधारशिला होने के साथ ही यह व्यक्ति और समाज दोनों के विकास का माध्यम हैं। डॉ. अम्बेडकर के विचार आज भी हमें यह प्रेरणा देते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही समानता, न्याय, बंधुत्व और मानवता पर आधारित समाज का निर्माण किया जा सकता है।

8.3 वंचित वर्गों के लिए शिक्षा का महत्व

अम्बेडकर जानते थे कि बिना शिक्षा के समानता और मानवता का आदर्श अधूरा रहेगा। इसलिए उन्होंने संविधान में भी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की नींव रखी। उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजातियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार समाज में जो वर्ग लम्बे समय तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहे हैं, उनके विकास और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा मनुष्य को जागरूक बनाती है तथा उसे अपने अधिकारों, कर्तव्यों और आत्म सम्मान का बोध कराती है।

वंचित वर्ग सदियों तक अशिक्षा, गरीबी, भेदभाव और शोषण का सामना करते रहे। उन्हें समाज में समान अवसर नहीं दिए गए, जिसके कारण वे विकास की मुख्य धारा से दूर हो गए। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि जब तक इन वर्गों को शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना संभव नहीं होगी। इसलिए उन्होंने दलितों, पिछड़ों, श्रमिकों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

शिक्षा व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और स्वतन्त्र सोच विकसित करती है। अशिक्षित व्यक्ति अक्सर अपने अधिकारों से अनजान रहता है और अन्याय का विरोध नहीं कर पाता, जबकि शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी

सकता है। इसी कारण डॉ. अम्बेडकर नें कहा था कि **''शिक्षा मनुष्य को गुलामी और भय से मुक्त करती है।''**

वंचित वर्गों के लिए शिक्षा आर्थिक उन्नति का भी महत्त्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्राप्त करता है। इससे गरीबी कम होती है और समाज में जीवन स्तर सुधरता है। शिक्षित समाज अधिक जागरूक, संगठित और प्रगतिशील बनता है।

महिलाओं की शिक्षा को भी डॉ. अम्बेडकर ने अत्यधिक महत्व दिया। उनका मानना था कि यदि समाज की महिलाएँ शिक्षित होगी तो पुरा समाज प्रगति करेगा। शिक्षित महिला परिवार में जागरूकता, नैतिकता और संस्कारों का विकास करती है। इस प्रकार महिला शिक्षा, वंचित समाज के समग्र विकास का आधार बनती ह।

शिक्षा सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव को समाप्त करने में सहायक होती है। जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास और ऊँच–नीच जैसी समस्याओं का समाधान शिक्षित और जागरूक समाज ही कर सकता है। शिक्षा मनुष्य में समानता, सहिष्णुता और मानवता की भावना विकसित करती है।

आज भी समाज के कई वर्ग शिक्षा और संसाधनों से पूरी तरह जुड़ नहीं पाए हैं। इसलिए आवश्यकता है कि सभी को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। सरकार और समाज दोनों का दायित्व है कि वंचित वर्गों तक शिक्षा के अवसर पहुँचाए जाएँ ताकि वे आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें।

अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा वंचित वर्गों के लिए केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम ही नहीं है अपितु सम्मान, समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने का मार्ग है। डॉ. अम्बेडकर के विचार आज भी हमें यह प्रेरणा देते हैं कि शिक्षित समाज ही वास्तविक मानवता और लोकतन्त्र की स्थापना कर सकता है।

8.4 मानवता और शिक्षा का संबंध

मानवता और शिक्षा का संबंध अत्यंत गहरा और महत्त्वपूर्ण है। अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान या

रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को मानवीय मूल्यों से जोड़कर नैतिक, संवेदनशील और जागरूक बनाना है। मानवता का अर्थ है सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम, समानता, करूणा, सहानुभूति और सम्मान की भावना रखना। शिक्षा से व्यक्ति में इन मानवीय गुणों का विकास होता है, जो व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देती है।

डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को मानवता और सामाजिक न्याय की आधारशिला माना। उनके अनुसार शिक्षा मनुष्य को अज्ञान, भेदभाव, अंधविश्वास और अन्याय से मुक्त करती है। जब व्यक्ति शिक्षित होता है, तब वह दूसरों के अधिकारों और सम्मान को समझता है तथा समाज में समानता और बंधुत्व की भावना विकसित होती है।

शिक्षा मनुष्य के विचारों को व्यापक बनाती है। अशिक्षा के कारण व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता, जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव में फँसा रहता है, जबकि शिक्षा उसे सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। शिक्षित व्यक्ति मानवता के मूल्यों को समझते हुए समाज में प्रेम, सहयोग और सहिष्णुता का वातावरण बनाता है।

मानवता का सबसे बड़ा आधार समानता है और शिक्षा इस समानता को स्थापित करने का महत्त्वपूर्ण साधन है। यदि समाज के सभी वर्गों को समान शिक्षा मिले, तो सामाजिक असमानता और शोषण को कम किया जा सकता है। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा के बिना सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना सम्भव नहीं है।

शिक्षा व्यक्ति में नैतिक मूल्यों का विकास भी करती है। यह दूसरों के दुख–दर्द को समझने और जरूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा देती है। एक शिक्षित समाज हिंसा, भेदभाव और अन्याय की अपेक्षा शांति, सहअस्तित्व और भाईचारे को अधिक महत्त्व देता है।

महिला शिक्षा भी मानवता से गहराई से जुड़ी हुई है। जब महिलाएँ शिक्षित होती हैं, तब परिवार और समाज दोनों में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ती है। शिक्षित महिलाएँ आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार और मानवीय मूल्य प्रदान करती हैं। इस प्रकार शिक्षा समाज में मानवता के विकास का महत्त्वपूर्ण माध्यम बनती है।

आज के समय में विज्ञान और तकनीक की प्रगति के साथ—साथ मानवीय मूल्यों का संरक्षण भी आवश्यक है। यदि शिक्षा केवल रोजगार तक सीमित रह जाए और उसमे नैतिकता तथा मानवता का अभाव हो, तो समाज में संवेदनहीनता बढ़ सकती है। इसलिए ऐसी शिक्षा आवश्यक है जो व्यक्ति को ज्ञान के साथ—साथ मानवता, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी प्रदान करे।

अम्बेडकर का शिक्षादर्शन इस बात का प्रमाण है कि वे शिक्षा को मानवता का सबसे बड़ा सशक्त साधन मानते थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। क्योंकि शिक्षा से ही हम असमानता, अज्ञान और अन्याय को समाप्त कर एक मानवीय समाज की स्थापना कर सकते हैं।

अंततः कहा जा सकता है कि शिक्षा और मानवता एक—दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा मनुष्य को जागरूक और संवेदनशील बनाती है, जबकि मानवता शिक्षा को सार्थक बनाती है। एक शिक्षित और मानवीय समाज ही समानता, न्याय, बंधुत्व और शांति पर आधारित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।

अध्याय 9 :— अम्बेडकर और आधुनिक मानवतावाद

मानव सभ्यता के विकास के साथ—साथ समाज में मानव अधिकारों, समानता और स्वतन्त्रता के विचारों का भी विस्तार हुआ। आधुनिक युग मे 'मानवतावाद' एक ऐसी विचारधारा के रूप में विकसित हुआ जिसने मनुष्य को सर्वोच्च मानते हुए उसके सम्मान, अधिकार और कल्याण को केन्द्र में रखा। आधुनिक मानवतावाद जाति, धर्म, वर्ण, लिंग और नस्ल के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध करता है। तथा तर्क, विज्ञान, समानता और मानव गरिमा को महत्त्व देता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि आधुनिक मानवतावाद की चर्चा की जाए तो डॉ. भीमराव अम्बेडकर का नाम अत्यन्त सम्मान और प्रमुखता के साथ लिया जाता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान समाजवादी चिंतक, समाज सुधारक और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने विचारों और कार्यो के माध्यम से यह दिखाया कि मानवता केवल आदर्श नहीं, बल्कि समाज को बदलने का व्यावहारिक कार्यक्रम है। उनका सम्पूर्ण जीवन मानवता की रक्षा,

समानता की स्थापना और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, छुआछूत और असमानता का कठोर विरोध किया तथा ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो।

आधुनिक मानवतावाद का मूल आधार यह है कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर भी इसी विचार के समर्थक थे। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था मानवता के विरूद्ध है क्योंकि यह मनुष्यों को ऊँच–नीच में विभाजित करती है। उन्होंने कहा कि जिस समाज में समानता नहीं होती, वहाँ लोकतन्त्र और मानवता दोनों कमजोर हो जाते हैं। इसलिए उन्होने जाति प्रथा के उन्मूलन को सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक माना।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को मानवता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप माना। उनके अनुसार जाति व्यवस्था केवल सामाजिक विभाजन ही नहीं, बल्कि मानव गरिमा का अपमान भी है। उनकी प्रसिद्ध कृति **'Annihilation of Caste'** में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि **'व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से हो।'**

अम्बेडकर का मानवतावाद केवल सामाजिक समानता तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक समानता भी शामिल थी। उनका विश्वास था कि जब तक समाज में सभी वर्गों को शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के समान अवसर प्राप्त नहीं होंगें, तब तक वास्तविक मानव विकास संभव नहीं है। इसी कारण उन्होंने शिक्षा को मुक्ति का सबसे बड़ा साधन माना। उनका प्रसिद्ध संदेश 'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो,' (बहिष्कृत हितकारिणी सभा एवं नागपुर भाषण) आज भी सामाजिक चेतना और मानव उत्थान का प्रेरणास्रोत है।

आधुनिक मानवतावाद तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्त्व देता है। अम्बेडकर भी अंधविश्वास, रूढ़िवाद और सामाजिक कुरीतियों के विरोधी

थे। उन्होंने लोगों से विवेकपूर्ण और तार्किक सोच को अपनाने का आग्रह किया। उनका मानना था कि समाज का विकास तभी संभव है जब व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से सोच सके और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए। यही कारण है कि उनका चिंतन आधुनिकता और प्रगतिशीलता का प्रतीक माना जाता है।

महिलाओं के अधिकारों के प्रति अम्बेडकर का दृष्टिकोण भी अत्यंत मानवतावादी था। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति में अधिकार और सामाजिक सम्मान के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किए। उनका मानना था कि किसी समाज की प्रगति का वास्तविक मापदंड वहाँ की महिलाओं की स्थिति होती है। आधुनिक मानवतावाद भी स्त्री–पुरूष समानता और लैंगिक न्याय पर बल देता है, इसलिए अम्बेडकर का चिंतन इस विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ दिखाई देता है।

भारतीय संविधान के निर्माण में अम्बेडकर ने समानता, स्वतन्त्रता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धान्तों को विशेष स्थान दिया। ये सभी आधुनिक मानवतावाद के मूल तत्त्व हैं। संविधान के माध्यम से उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की जहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। उनका यह प्रयास केवल कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि मानवता की स्थापना की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।

डॉ. अम्बेडकर ने बन्धुत्व को लोकतन्त्र की आत्मा कहा। उनके अनुसार केवल कानून बना देने से समान में परिवर्तन नहीं आता, बल्कि लोगों के भीतर भाईचारे और मानवता की भावना विकसित होना आवश्यक है। आधुनिक मानवतावाद भी विश्व बन्धुत्व, सहयोग और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देता है। इस दृष्टि से अम्बेडकर का चिंतन वैश्विक मानवतावादी विचारधारा के अत्यंत निकट दिखाई देता है।

अतः यह कहा जाना गलत नहीं होगा कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर आधुनिक मानवतावाद के महान प्रवक्ता थे। उन्होंने अपने विचारों और

कार्यों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि मानवता की वास्तविक उन्नति समानता, न्याय, शिक्षा और बंधुत्व के माध्यम से ही संभव है। आज के समय में जब समाज अनेक प्रकार की असमानताओं, हिंसा और विभाजन की समस्याओं से जूझ रहा है, तब अम्बेडकर का मानवतावादी चिन्तन और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उनके विचार न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए मानवता, सामाजिक समरसता और न्यायपूर्ण समाज निर्माण की प्रेरणा प्रदान करते हैं।

9.1 लोकतन्त्र और मानव अधिकार

लोकतन्त्र और मानव अधिकार एक–दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जहाँ लोकतन्त्र जनता की भागीदारी, स्वतन्त्रता और समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है, वहीं मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करते है। किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ नागरिकों के मानव अधिकार कितने सुरक्षित और संरक्षित हैं। यदि लोकतन्त्र में मानव अधिकारों का सम्मान नहीं हो, तो वह केवल एक औपचारिक शासन व्यवस्था बन कर रह जाता है।

मानव अधिकार वे मूलभूत अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। इनमें जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा, धर्म की स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक जीवन और न्याय प्राप्त करने का अधिकार शामिल हैं। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा और स्वतन्त्र अस्तित्व की रक्षा करते हैं। मानव अधिकारों का उद्देश्य समाज में शोषण, भेदभाव और अन्याय को समाप्त करना है।

लोकतन्त्र का मूल आधार जनता की संप्रभुता है। लोकतन्त्र में सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता होती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, सरकार की आलोचना करने, मतदान करने और शासन में भाग लेने का

अवसर प्रदान करती है। यही कारण है कि लोकतन्त्र को मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था माना जाता है।

लोकतन्त्र और मानव अधिकारों का सम्बन्ध अत्यन्त गहरा है। लोकतन्त्र नागरिकों को स्वतन्त्रता और समानता का वातावरण देता है, जबकि मानव अधिकार लोकतन्त्र को नैतिक और मानवीय आधार प्रदान करते हैं। यदि किसी देश में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और समान अवसर नहीं हैं, तो वहाँ वास्तविक लोकतन्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार यदि लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर हो जाएँ, तो मानव अधिकारों का हनन बढ़ने लगता है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान में लोकतन्त्र और मानव अधिकारों दोनों को विशेष महत्त्व दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को स्थापित किया गया है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया गया है। ये अधिकार भारतीय लोकतन्त्र की आत्मा हैं।

भारतीय लोकतन्त्र को मजबूत बनाने में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने संविधान निर्माण के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया कि लोकतन्त्र केवल राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी स्थापित करे। उनका मानना था कि जब तक समाज में समानता और बंधुत्व नहीं होगा, तब तक लोकतन्त्र स्थायी नहीं रह सकता।

मानव अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव आयोग, स्वतन्त्र प्रेस और जागरूक नागरिक लोकतन्त्र को सशक्त बनाते हैं। ये संस्थाएँ सरकार की शक्तियों पर नियन्त्रण रखती हैं और नागरिकों

की रक्षा करती है। यदि संस्थाएँ कमजोर पड़ जाएँ, तो लोकतन्त्र और मानव अधिकार दोनों संकट मे पड़ सकते हैं।

आज के समय में मानव अधिकारों के सामने अनेक चुनौतियाँ उपस्थित हैं। जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, बाल श्रम, हिंसा, धार्मिक कट्टरता, भ्रष्टाचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध जैसी समस्याएँ लोकतन्त्र को कमजोर करती हैं। तकनीकी युग में निजता का अधिकार और डिजिटल सुरक्षा भी महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार बन गये हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल कानूनों से नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और नैतिक मूल्यों से सम्भव है।

लोकतन्त्र तभी सफल हो सकता है जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ–साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हों। मतदान करना, संविधान का सम्मान करना, दूसरों के अधिकारों का आदर करना और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। मानव अधिकार केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का विषय नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी भी हैं।

लोकतन्त्र और मानव अधिकार एक स्वस्थ एवं न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला हैं। दोनों का उद्देश्य मनुष्य की गरिमा, स्वतन्त्रता और समानता की रक्षा करना है। जहाँ मानव अधिकार लोकतन्त्र को मानवीय स्वरूप देते हैं, वहीं लोकतन्त्र मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसलिए एक मजबूत, समतामूलक और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए लोकतन्त्र और मानव अधिकारों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

9.2 सामाजिक समरसता और वैश्विक दृष्टि

मानव सभ्यता के विकास का मूल उद्देश्य ऐसा समाज निर्मित करना रहा है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, समान अवसर स्वतन्त्र जीवन प्राप्त हो सके। किन्तु इतिहास साक्षी है कि समाज में जाति, वर्ग, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव ने मानवता को विभाजित किया है।

भारतीय समाज भी लम्बे समय तक सामाजिक विषमता, छुआछूत और अन्याय जैसी समस्याओं से ग्रस्त रहा। ऐसे समय में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने मानवता, समानता, और सामाजिक न्याय का ऐसा विचार प्रस्तुत किया जिसने केवल भारत ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व को नई दिशा प्रदान की।

अम्बेडकर का चिंतन आधुनिक मानवतावाद का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने मनुष्य को सबसे ऊपर रखते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब वहाँ सामाजिक समरसता, बन्धुत्व और समानता का वातावरण हो। उनके अनुसार मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, ज्ञान और मानवीय गुणों से होनी चाहिए। यही विचार आधुनिक मानवतावाद की मूल भावना भी है।

सामाजिक समरसता का अर्थ समाज के सभी वर्गों के बीच प्रेम, सहयोग, सम्मान और समानता स्थापित करना है। यह केवल बाहरी शांति नहीं, बल्कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जहाँ किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। अम्बेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को सामाजिक समरसता के लिए सबसे बड़ी बाधा माना। उनका विचार था कि जाति व्यवस्था समाज को छोटे–छोटे वर्गों मे विभाजित कर देती है और मनुष्य के भीतर मानवता की भावना को कमजोर करती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक समाज में समानता स्थापित नहीं होगी, तब तक वास्तविक लोकतन्त्र संभव नहीं है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के सामाजिक अपमान और भेदभाव का सामना किया, किन्तु उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना। उनका विश्वास था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने दलितों, महिलाओं, और वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए निरन्तर प्रयास किए। शिक्षा को उन्होंने मानव मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन माना। उनका प्रसिद्ध संदेश **'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो'** आज भी सामाजिक परिवर्तन का प्रेरणास्रोत है।

अम्बेडकर का मानवतावाद केवल भारतीय समाज तक सीमित नहीं था। उनके विचारों में वैश्विक दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने विश्व के

लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक व्यवस्थाओं और मानव अधिकारों का गहन अध्ययन किया था। उनका मानना था कि सम्पूर्ण मानव जाति एक समान है और सभी को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय संविधान में समानता, स्वतन्त्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल्यों को विशेष स्थान दिया गया।

भारतीय संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि मानवता और सामाजिक न्याय का घोषणापत्र है। अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से ऐसे भारत की कल्पना की जहाँ प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति सामाजिक या आर्थिक कारणों से शोषित न हो। उनका यह दृष्टिकोण आधुनिक मानवाधिकारों और वैश्विक मानवतावाद के अत्यंत निकट था।

आधुनिक मानवतावाद तर्क, विज्ञान, समानता और मानव गरिमा पर आधारित विचारधारा है। यह मनुष्य को केन्द्र में रख कर उसके विकास और कल्याण की बात करता है। अम्बेडकर ने भी अंधविश्वास, रूढ़िवाद और सामाजिक अन्याय का विरोध करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। वे मानते थे कि समाज का विकास तभी संभव है जब लोग विवेक और ज्ञान के आधार पर निर्णय लें।

महिलाओं के अधिकारों के प्रति भी अम्बेडकर अत्यंत संवेदनशील थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति में अधिकार और सामाजिक समानता के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किए। उनका मानना था कि किसी समाज की प्रगति का वास्तविक मापदंड वहाँ की महिलाओं की स्थिति होती है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर का यह विचार भी आधुनिक मानवतावाद की भावना को प्रकट करता है।

अम्बेडकर ने बंधुत्व को लोकतन्त्र की आत्मा कहा। उनके अनुसार केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता भी आवश्यक है। यदि समाज में भेदभाव और अन्याय रहेगा तो लोकतन्त्र केवल एक औपचारिक व्यवस्था बन कर रह जाएगा। इसलिए उन्होंने सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना पर विशेष बल दिया।

उनकी वैश्विक दृष्टि का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष बौद्ध धर्म की ओर झुकाव था। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसमें समानता, करूणा, अहिंसा और मानव कल्याण की भावना निहित है। यह धर्म मानवता को जोड़ने और विश्व बंधुत्व स्थापित करने की प्रेरणा देता है। अम्बेडकर का यह निर्णय केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि मानवतावादी क्रांति का प्रतीक था।

आज के समय में जब विश्व जातीय संघर्ष, धार्मिक कट्टरता, हिंसा और असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तब अम्बेडकर का चिंतन और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। सामाजिक समरसता और वैश्विक मानवता की स्थापना के लिए उनके विचार मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। यदि समाज में समानता, न्याय और बन्धुत्व की भावना विकसित की जाए तो अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव है।

अन्ततः कहा जा सकता है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि आधुनिक मानवतावाद के महान प्रवक्ता थे। उनका जीवन और चिंतन मानवता, सामाजिक समरसता और विश्व बन्धुत्व का संदेश देता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनके विचारों को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखा जाएँ, अपितु व्यावहारिक जीवन में अपनाया जाएँ। तभी एक ऐसे समाज और विश्व की स्थापना संभव होगी जहाँ प्रत्येक मनुष्य को समान सम्मान, न्याय और स्वतन्त्रता प्राप्त हो।

9.3 समकालीन समाज में अम्बेडकर के विचारों की प्रासंगिकता

भारतीय समाज के महान चिंतक, समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपने विचारों और संघर्षों के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता और मानवता का जो संदेश दिया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। आधुनिक समाज विज्ञान, तकनीक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किन्तु सामाजिक असमानता, जातीय भेदभाव, लैंगिक विषमता, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक शोषण जैसी समस्याएँ आज भी विद्यमान हैं। ऐसे समय में अम्बेडकर के विचार समाज को सही दिशा देने वाले प्रकाश स्तम्भ के समान हैं।

अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन सामाजिक अन्याय के विरूद्ध संघर्ष का प्रतीक था। उन्होंने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या माना। उनके अनुसार जाति व्यवस्था केवल सामाजिक विभाजन ही नही, बल्कि मानवता और लोकतन्त्र के लिए भी घातक है। आज भी समाज के अनेक क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव और ऊँच–नीच की भावना देखने को मिलती है। शिक्षा, रोजगार, विवाह और सामाजिक व्यवहार में कई बार जाति का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए अम्बेडकर का जातिविहीन और समतामूलक समाज का विचार आज भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने लोकतन्त्र को केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति माना। उनके अनुसार लोकतन्त्र की सफलता के लिए स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व आवश्यक हैं। वर्तमान समय में लोकतन्त्र अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे सामाजिक असहिष्णुता, राजनीतिक ध्रुवीकरण और असमान अवसर। ऐसे में अम्बेडकर का सामाजिक लोकतन्त्र का विचार अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित नहीं हुई, तो राजनीतिक लोकतन्त्र कमजोर पड़ जाएगा।

शिक्षा के महत्त्व पर अम्बेडकर ने विशेष बल दिया था। उनका मानना था कि शिक्षा ही व्यक्ति को जागरूक बनाकर उसे अधिकारों के प्रति सचेत करती है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में शिक्षा मानव विकास का सबसे बड़ा साधन बन चुकी है। फिर भी समाज के अनेक वर्ग अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। अम्बेडकर का **'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो**,'(बहिष्कृत हितकारिणी सभा एवं नागपुर भाषण, 20 जुलाई,1942 का आदर्श वाक्य) का सन्देश आज भी युवाओं और वंचित वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में भी अम्बेडकर के विचार अत्यंत आधुनिक और प्रगतिशील थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, समान अधिकार और सम्मानजनक जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किए। आज महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों मे उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, फिर भी लैंगिक भेदभाव, हिंसा और असमानता जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं।

इसलिए महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के संबंध में अम्बेडकर का चिंतन आज भी प्रासंगिक है।

अम्बेडकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता के समर्थक थे। उन्होंने अंधविश्वास, रूढ़ीवाद और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। वर्तमान समय में जब समाज में अनेक प्रकार की अफवाहें, कट्टरता और अवैज्ञानिक धारणाएँ फैलती हैं, तब उनका वैज्ञानिक सोच अपनाने का संदेश अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक मानवतावादी समाज के निर्माण के लिए विवेकपूर्ण और तार्किक दृष्टिकोण आवश्यक है।

भारतीय संविधान के निर्माण में अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है। संविधान में निहित समानता, स्वतन्त्रता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल्य आज भी भारतीय लोकतन्त्र की आधारशिला हैं। समकालीन समाज में जब कभी सामाजिक तनाव, भेदभाव या अधिकारों के हनन की स्थिति उत्पन्न होती है, तब संविधान और अम्बेडकर के विचार नागरिकों को न्याय और समानता का मार्ग दिखाते हैं।

वैश्वीकरण और आधुनिकता के इस दौर में आर्थिक असमानता भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। समाज का एक वर्ग अत्यधिक सम्पन्न होता जा रहा है, जबकि दूसरा वर्ग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा है। अम्बेडकर आर्थिक न्याय के पक्षधर थे। उनका मानना था कि जब तक समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और संसाधनों तक पहुँच प्राप्त नहीं होगी, तब तक वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित नहीं हो सकता ।

अम्बेडकर का बंधुत्व का सिद्धान्त आज के समय में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। समाज में बढ़ती घृणा, हिंसा और विभाजन की प्रवृत्तियाँ मानवता के लिए खतरा बन रही हैं। ऐसे में उनका यह संदेश कि 'सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आपसी सम्मान और सहयोग के साथ रहना चाहिए', सामाजिक समरसता स्थापित करने में सहायक हो सकता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार केवल ऐतिहासिक महत्त्व तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के समाज के लिए भी मार्गदर्शक हैं। सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा, महिला अधिकार, लोकतन्त्र और मानवता के संबंध में उनके विचार आज भी उतने ही आवश्यक हैं

जितने उस समय में थे। यदि समकालीन समाज अम्बेडकर के सिद्धान्तों को व्यवहार में अपनाए, तो एक समरस, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की स्थापना संभव हो सकती है।

9.4 आधुनिक मानवतावाद की विशेषताएँ

भारत के सामाजिक और वैचारिक इतिहास में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने केवल संविधान निर्माण में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि मानवता, समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। आधुनिक मानवतावाद की मूल भावना भी यही है कि मनुष्य सर्वोपरि है और उसके अधिकार, स्वतन्त्रता तथा गरिमा की रक्षा करना समाज और राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। इस दृष्टि से डॉ. अम्बेडकर आधुनिक मानवतावाद के सबसे बड़े प्रवक्ताओं में से एक माने जा सकते हैं।

आधुनिक मानवतावाद की पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता मानव गरिमा का सम्मान है। डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन में जातिगत अपमान और भेदभाव का सामना किया, इसलिए उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान आदर दिलाने के लिए संघर्ष किया। उनका मानना था कि कोई भी समाज तब तक सभ्य नहीं कहला सकता जब तक उसमें सभी मनुष्यों को बराबरी का अधिकार प्राप्त न हो। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत ऊँच–नीच को मानवता के विरूद्ध बताया।

समानता और सामाजिक न्याय, आधुनिक मानवतावाद की दूसरी प्रमुख विशेषता है अम्बेडकर ने समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किए। भारतीय संविधान में समानता, स्वतन्त्रता और न्याय के सिद्धान्तों को शामिल कराने में उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता पर्याप्त नहीं है, जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित नहीं हो जाती।

आधुनिक मानवतावाद तर्क और दृष्टिकोण पर आधारित है। डॉ. अम्बेडकर अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और परम्परागत सामाजिक कुरीतियों

के विरोधी थे। वे शिक्षा और विवेक को मानव मुक्ति का सबसे बड़ा साधन मानते थे। उनका प्रसिद्ध संदेश **'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो,'**(बहिष्कृत हितकारिणी सभा एवं नागपुर भाषण का आदर्श वाक्य)– आधुनिक मानवतावादी विचारधारा का सार प्रस्तुत करता है। उन्होंने लोगों को तर्क और ज्ञान के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा दी।

स्वतन्त्रता भी आधुनिक मानवतावाद का महत्त्वपूर्ण तत्व है। अम्बेडकर का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति और जीवन जीने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों के माध्यम से नागरिक स्वतन्त्रता को मजबूत आधार प्रदान किया। उनके अनुसार स्वतन्त्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक भी होनी चाहिए।

महिला अधिकारों और लैंगिक समानता के क्षेत्र में भी डॉ. अम्बेडकर का योगदान उल्लेखनीय रहा। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति में अधिकार और समान अवसरों का समर्थन किया। हिन्दू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाने का प्रयास किया। यह उनके मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रमाण था कि वे समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार दिलाना चाहते थे।

बंधुत्व और सह–अस्तित्व की भावना आधुनिक मानवतावाद का आधार है। डॉ. अम्बेडकर ने "स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व" को लोकतन्त्र की आत्मा बताया। उनका विश्वास था कि समाज में भाईचारा और पारस्परिक सम्मान के बिना वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित नहीं हो सकता। उन्होंने मानवता को जाति और संकीर्णताओं से ऊपर उठाने का प्रयास किया।

शिक्षा के महत्व पर डॉ. अम्बेडकर ने विशेष बल दिया। उनके अनुसार शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर और जागरूक बना सकती है। उन्होंने स्वयं कठिन परिस्थितियों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर यह सिद्ध किया कि ज्ञान सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन है।

अतः कहा जा सकता है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन आधुनिक मानवतावाद के आदर्शों का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने

मानव गरिमा, समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय और बंधुत्व के मूल्यों को अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से समाज में स्थापित करने का प्रयास किया। आज भी उनके विचार आधुनिक समाज के लिए मार्गदर्शक हैं और मानवता को एक अधिक न्यायपूर्ण एंव समतामूलक दिशा प्रदान करते हैं।

9.5 मानवता के लिए अम्बेडकर का योगदान

भारतीय इतिहास में डॉ. अम्बेडकर एक ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में स्मरण किए जाते हैं जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मानवता, समानता, और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। वे केवल दलितों और वंचितों के ही नेता नहीं थे, बल्कि सम्पूर्ण मानव समान के हितैषी विचारक थे। उनके विचारों का मूल उद्देश्य ऐसा समाज बनाना था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, स्वतन्त्रता और समान अवसर प्राप्त हो। मानवता के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और आधुनिक था।

डॉ. अम्बेडकर का सबसे बड़ा योगदान मानव गरिमा की स्थापना है। उस समय भारतीय समाज जातिगत भेदभाव, छुआछूत और ऊँच–नीच जैसी कुरीतियों से ग्रस्त था। समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक अधिकारों से वंचित था। डॉ. अम्बेडकर ने इन मानवीय व्यवस्थाओं के विरूद्ध संघर्ष किया और यह सिद्ध किया कि सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके गुण और मानवता से निर्धारित होना चाहिए।

सामाजिक समानता की स्थापना के लिए उनका संघर्ष मानवता के प्रति उनके समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने दलितों, शोषितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उनका प्रसिद्ध संदेश – "शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो" – केवल एक नारा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का मार्ग था। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को अन्याय और शोषण के विरूद्ध खड़ा होने का साहस देती है।

भारतीय संविधान के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का योगदान मानवता के लिए एक ऐतिहासिक उपहार है। संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय

और बंधुत्व के सिद्धान्तों को शामिल कर उन्होंने प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया। संविधान के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। यह मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महान कदम था।

महिलाओं के अधिकारों के लिए भी डॉ. अम्बेडकर ने महत्त्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति में अधिकार और सामाजिक समानता का समर्थन किया। हिन्दू कोड़ बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को अधिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि किसी समाज की प्रगति का सही आंकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति से किया जा सकता है। यह विचार उनके गहरे मानवतावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

डॉ. अम्बेडकर तर्क, विवेक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक थे। उन्होंने अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। वे चाहते थे कि समाज ज्ञान और तर्क के आधार पर आगे बढ़े। उनका विश्वास था कि विवेकपूर्ण सोच ही मानवता को प्रगति और शान्ति की और ले जा सकती है।

बंधुत्व और सामाजिक समरसता भी अम्बेडकर के विचारों का महत्त्वपूर्ण आधार थे। उन्होंने कहा कि लोकतन्त्र केवल शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमे परस्पर सम्मान और भाईचारा आवश्यक है। उनका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना था जहाँ सभी लोग समान अधिकारों और पारस्परिक सम्मान के साथ रह सकें ।

धर्म के क्षेत्र में भी अम्बेडकर का दृष्टिकोण मानवतावादी था। उन्होंने ऐसे धर्म को स्वीकार करने की बात कही जो मानवता, नैतिकता और समानता पर आधारित हो। इसी कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उसमें करूणा, अहिंसा और मानव समानता का संदेश निहित था।

अंततः कहा जा सकता है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन मानवता की सेवा का प्रतीक था। उन्होंने समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों को आत्मसम्मान अधिकार और न्याय दिलाने के लिए निरन्तर संघर्ष किया। उनके विचार आज भी मानवता, सामाजिक न्याय

और लौकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आधुनिक भारत में यदि समानता, अधिकार और सामाजिक न्याय की भावना दिखाई देती है, तो उसमें डॉ. अम्बेडकर के योगदान की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

9.6 भविष्य के लिए मार्गदर्शन

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार केवल उनके समय तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्ग दर्शक हैं। उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ मानवता, समानता, स्वतन्त्रता और बंधुत्व के आधार पर सभी लोग सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। वर्तमान समय में जब समाज अनेक सामाजिक, आर्थिक और नैतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब अम्बेडकर के विचार भविष्य के लिए एक सशक्त दिशा प्रदान करते हैं।

सबसे पहले, शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन मानना भविष्य के लिए आवश्यक है। अम्बेडकर का विश्वास था कि शिक्षित समाज ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकता है। आने वाली पीढ़ियों को केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित न रह कर ज्ञान, विवेक और नैतिकता को भी अपनाना चाहिए। ऐसी शिक्षा जो मानवता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करे, वही वास्तविक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी।

समानता और सामाजिक न्याय की भावना को मजबूत करना भी भविष्य की आवश्यकता है। आज भी समाज में जाति, वर्ग, लिंग और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। अम्बेडकर के विचार हमें प्रेरणा देते हैं कि किसी भी प्रकार का भेदभाव मानवता के विरूद्ध है। इसलिए समाज को ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।

लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर ने संविधान को केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना था। आने वाली पीढ़ियों का कर्तव्य है कि संविधान, लोकतन्त्र और मानव अधिकारों का सम्मान करें। यदि समाज में स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व की भावना कमजोर होगी, तो लोकतन्त्र भी कमजोर हो जाएगा।

महिलाओं की समान भागीदारी और सम्मान भी भविष्य निर्माण का महत्त्वपूर्ण आधार है। अम्बेडकर नें महिलाओं को समाज की प्रगति का केन्द्र माना था। इसलिए भविष्य के समाज में महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और निर्णय लेने के समान अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा। महिला और पुरूष दोनों के समान सहयोग से ही स्वस्थ और प्रगतिशील समाज का निर्माण सम्भव है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता को अपनाना भी समय की मांग है। अंधविश्वास, कट्टरता, और सामाजिक रूढ़ियाँ समाज को पीछे ले जाती हैं। अम्बेडकर ने विवेक और तर्क को मानव विकास का आधार माना। भविष्य में युवाओं को विज्ञान, और ज्ञान के साथ–साथ मानवीय संवेदनाओं को भी महत्त्व देना होगा।

सामाजिक समरसता और बंधुत्व की भावना भविष्य के शांतिपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है। अम्बेडकर का मानना था कि केवल कानून से समाज में एकता नहीं लाई जा सकती, बल्कि लोगों के हृदय में भाईचारे की भावना होना आवश्यक है। आज जब समाज विभाजन और तनाव की स्थितियों का सामना कर रहा है, तब प्रेम, सहयोग और सह–अस्तित्व की भावना को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

अतः कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर के विचार भविष्य के लिए नैतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यदि आने वाली पीढ़ियाँ समानता, न्याय, वैज्ञानिक सोच और मानवता के मूल्यों को अपनाएँ, तो एक अधिक समतामूलक, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज का निर्माण सम्भव होगा। यही अम्बेडकर के सपनों का भारत और मानवता के उज्ज्वल भविष्य की वास्तविक दिशा होगी।

" मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतन्त्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है।"

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

(The Buddha and His Dhamma)

अध्याय 10 :– शोध का सार / निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य में मानवता की अवधारणा को दार्शनिक, सामाजिक एंव ऐतिहासिक दृष्टि से समझते हुए इसे डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों, कार्यों और जीवन संघर्ष के संदर्भ में विश्लेषित किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. अम्बेडकर केवल भारतीय संविधान के शिल्पकार या दलितों के मसीहा ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान समाजवादी चिंतक थे। जिनका सम्पूर्ण जीवन मानव मर्यादा , समानता, स्वतन्त्रता और बंधुत्व की स्थापना के लिए समर्पित रहा।

शोध के प्रथम भाग में मानवता के दार्शनिक एंव ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करते हुए यह पाया गया कि मानवता का मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन, समान अवसर तथा सामाजिक न्याय प्रदान करना है। इतिहास में अनेक विचारकों ने मानवतावाद की व्याख्या की, किन्तु भारतीय समाज की जातिगत विषमता और सामाजिक असमानताओं के बीच डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने मानवता को व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

डॉ. अम्बेडकर के जीवन परिचय के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत संघर्षों और सामाजिक अपमान को समाज सुधार की शक्ति में परिवर्तित किया। कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने यह सिद्ध किया कि शिक्षा ही मानव मुक्ति और आत्मसम्मान का सबसे प्रभावी माध्यम है। उनका जीवन संघर्ष, धैर्य, आत्मविश्वास और मानव अधिकारों की चेतना का अद्वितीय उदाहरण है।

अम्बेडकर के मानवतावादी दृष्टिकोण के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वे ऐसे समाज की स्थापना चाहते थे जहाँ व्यक्ति की पहचान उसकी जाति, धर्म या वर्ग से नहीं, बल्कि उसकी मानवता से हो। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को मानवता के विरूद्ध बताया। उनके विचारों में "समानता, स्वतन्त्रता और बंधुत्व" मानव समाज की आधारशिला हैं। उनका मानना था कि बिना सामाजिक लोकतन्त्र के राजनीतिक लोकतन्त्र अधूरा है।

धर्म और मानवता के सन्दर्भ में डॉ. अम्बेडकर नें धर्म को नैतिकता और मानव कल्याण से जोड़ा। उन्होंने ऐसे धर्म का समर्थन किया जो मनुष्य

को समानता, करूणा और न्याय का मार्ग दिखाए। इसी कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उसमें मानवता, विवेक, करूणा, और समता का संदेश निहित है। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, न कि सामाजिक विभाजन।

संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के योगदान के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय तथा आरक्षण व्यवस्था मानवता के मूल सिद्धान्तों पर आधारित हैं। संविधान के माध्यम से उन्होंने समाज के कमजोर, वंचित एंव शोषित वर्गों को न्याय और सम्मान प्रदान करने का प्रयास किया । भारतीय संविधान उनके मानवतावादी चिंतन का सशक्त दस्तावेज है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के योगदान का अध्ययन यह दर्शाता है कि वे महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार दिलाने के पक्षधर थे। उन्होंने शिक्षा, संपत्ति, विवाह तथा रोजगार में महिलाओं की समान भागीदारी का समर्थन किया। हिन्दू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिलाने का उनका प्रयास भारतीय समाज में लैंगिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। इससे यह सिद्ध होता है कि उनका मानवतावाद केवल जातिगत समानता तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें महिला अधिकार भी समान रूप से सम्मिलित थे।

शिक्षा और मानवता के संदर्भ में शोध से निष्कर्ष निकलता है कि डॉ. अम्बेडकर शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और मानव उत्थान का सबसे प्रभावी साधन मानते थे। उनका प्रसिद्ध संदेश –''शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो ''– आज भी सामाजिक चेतना और मानव अधिकारों की प्रेरणा है। उन्होंने शिक्षा को आत्मसम्मान, सामाजिक जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला माना।

अम्बेडकर और आधुनिक मानवतावाद के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि उनके विचार आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक समाज में बढ़ती असमानता, सामाजिक विभाजन, जातीय तनाव और मानव अधिकारों के संकट के बीच अम्बेडकर का मानवतावाद समरसता, न्याय और लोकतान्त्रिक मूल्यों का मार्गदर्शन करता है। उनका चिंतन

केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणास्रोत है।

अतः समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन और चिंतन, मानवता की स्थापना, सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने अपने विचारों, संघर्षों और संवैधानिक योगदानों के माध्यम से ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, समान अवसर, स्वतन्त्रता और न्याय प्राप्त हो। उन्होंने केवल सिद्धान्तों की बात नहीं की, बल्कि अपने जीवन में उन मूल्यों को व्यावहारिक रूप देकर समाज के वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्गों को आत्मसम्मान और अधिकार दिलाने का कार्य किया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जाति, अस्पृश्यता, लैंगिक भेदभाव और सामाजिक अन्याय के विरूद्ध संघर्ष करते हुए मानवता को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। उनके लिए मनुष्य की पहचान उसकी जाति, धर्म या वर्ग नहीं, बल्कि उसकी मानवता थी। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष के माध्यम से समाज में समानता और बंधुत्व की भावना विकसित करने का प्रयास किया। संविधान निर्माण, महिला अधिकारों की रक्षा, सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना तथा बौद्ध धर्म के माध्यम से करूणा और समता का संदेश देकर उन्होंने मानव कल्याण की व्यापक दृष्टि प्रस्तुत की ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर केवल एक महान विधिवेत्ता, समाज सुधारक, संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे मानवतावादी थे। उनका सम्पूर्ण जीवन मानव गरिमा, सामाजिक समरसता और सार्वभौमिक मानव मूल्यों की स्थापना के लिए समर्पित रहा। आज भी उनके विचार सम्पूर्ण मानव समाज को समानता, न्याय और मानवता के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं।

" जो समाज अपने नायकों का सम्मान नहीं करता, वह कभी प्रगति नहीं कर सकता।"

— डॉ. भीमराव अम्बेडकर (Ranade, Gandhi and Jinnah)

अध्याय 11 :– संदर्भ सूची/ग्रंथ सूची

जाति का विनाश – डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अनुवाद–राजकिशोर) (फॉरवर्ड प्रेस)।
बुद्ध और उनका धम्म – डॉ. भीमराव अम्बेडकर (Ekada classics)।
शूद्र कौन थे – डॉ. भीमराव अम्बेडकर (Ekada classics)।
वीजा की प्रतीक्षा में –डॉ. भीमराव अम्बेडकर (Ekada classics)।
जाति प्रथा उन्मूलन और महात्मा गाँधी को दिया गया उत्तर– डॉ. भीमराव अम्बेडकर (Ekada classics)।
मेरी आत्मकथा मेरी कहानी, मेरी जुबानी– डॉ. भीमराव अम्बेडकर (Ekada classics)।
अछूत कौन थे? और वो अछूत कैसे बने?– डॉ. भीमराव अम्बेडकर (Ekada classics)
बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय खंड–01,09,13,14,17,26–30,33,34,38,39,40 डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
भारत का संविधान– भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)।
मनुस्मृति – श्री मनीष त्यागी (श्री हिन्दू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउंडेशन)।
भारत में जातियों की उत्पत्ति और विकास– डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (Bheem patrika publications)।
ambedkarfoundation.nic.in – अम्बेडकर फाउण्डेशन, भारत सरकार ।
डॉ. अम्बेडकर का हिन्दूकरण– एल. आर. बाली (Bheem patrika publications)।
विद्रोह के चिह्न, डॉ. अम्बेडकर –एल. आर. बाली (Bheem patrika publications)।
मण्डल आयोग रिपोर्ट और प्रतिक्रिया– एल. आर. बाली (Bheem patrika publications)।
भारत में सांविधानिक और मानवीय अधिकारों का हनन – एल. आर. बाली (Bheem patrika publications)।
Mr. Gandhi and the emancipation of the Untouchables.- Dr. B. R. Ambedkar (Bheem patrika publications)
बुद्ध धम्म, सार और विकास – एल. आर. बाली (Bheem patrika publications)।
डॉ. अम्बेडकर की सच्ची महानता– भिक्षु संघ रक्षित (Bheem patrika publications)।
बुद्ध धम्म भ्रांति निवारण – डॉ. सुरेन्द्र अज्ञात (बुद्धिस्ट पब्लिशिंग हाउस)।
साक्षात्कार/प्रश्नावली– श्री खींवकरण डबरिया (वरिष्ठ समाजसेवी एंव अम्बेडकरवादी चिंतक) , श्री ओमप्रकाश कांसोटिया (समाजसेवी एवं अम्बेडकरवादी विचारक) एवं श्री राजुराम सुंवासिया (राजकीय सेवा–राजस्थान पुलिस एवं समाजसेवी और अम्बेडकरवादी विचारक)

" संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है तो वह बुरा सिद्ध होगा।"

– डॉ. भीमराव अम्बेडकर

(संविधान सभा समापन भाषण , 25 नवम्बर, 1949)

अध्याय 11 :– Annexure / परिशिष्ट

"बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और मानवता"

[illegible] (HR/389/101 Date- 30/07/2025)

-: साक्षात्कार / प्रश्नावली :-

[illegible]

प्रश्नावली 01 पृष्ठ संख्या 01

[illegible]

प्रश्नावली 01 पृष्ठ संख्या 02

[illegible]

प्रश्नावली 01 पृष्ठ संख्या 03

[illegible]

प्रश्नावली 01 पृष्ठ संख्या 04

[illegible]

दिनांक - 11 जनवरी 2026

प्रश्नावली 01 पृष्ठ संख्या 05

"बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर और मानवता"

[illegible]

... Educate, Agitate and Organize ... Educate, Organize, Agitate ... Organize, Agitate and Educate ... [illegible] ... Educate, Agitate and Organize ...

प्रश्नावली 02 पृष्ठ संख्या 01

इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा और संघर्ष और संगठन से ही अम्बेडकरवाद को गति दी जा सकती है।

प्रश्न 3 बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा का क्या महत्व है ? एवं उनकी शिक्षा नीति क्या थी, क्या वर्तमान शिक्षा नीति से समाज व देश का उद्धार हो सकता है ?

उत्तर – बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के अनुसार जिस तरह से जीवन मे नवीनीकरण की प्रकिया है जीवन हर दिन नया होता है उसी तरह शिक्षा भी self renewing process है। जिस तरह खाना और प्रजनन से शारीरिक जीवन को जिन्दा रखने के लिए जरूरी है जनजीवन को जिन्दा रखने के लिए समाज के सदस्यों को जिन्दा रखने के लिए शिक्षण की जरूरत होती है, उसी तरह समाज को जिन्दा रखने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है।

समाज की पुर्नरचना के लिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। बाबा साहब के अनुसार शिक्षा के ध्येय व उद्देश्य आदर्श समाज बनाना होना चाहिए जिससे एक आदमी के एक मूल्य को साकार किया जा सके और मानव अधिकार को लेकर खड़े किया जा सके।

डॉ. अम्बेडकर 9 मई 1916 को कहते है कि भारत की मूल समस्या जाति है इस का अन्त करने के लिए 20 मई 1951 को [illegible] दिये गये भाषण मे कहते है कि यदि आज भारतीय समाज के निचले तबके को शिक्षा देते है जो जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने मे दिलचस्पी रखता है तो जाति व्यवस्था खत्म हो जायेगी और अगर आप जाति व्यवस्था को बनाये रखना चाहते है उन्ही तबके को शिक्षा देते है तो भारत के लोकतंत्र के भविष्य मे कोई सुधार नहीं होगा बल्कि ऐसा करने से भारत का लोकतन्त्र हमेशा हमेशा के लिए खतरे मे पड़ेगा। इसलिए विश्वविद्यालय केवल प्रशिक्षण का केन्द्र न होकर बल्कि ज्ञान का केन्द्र होना चाहिए। डॉ. अम्बेडकर ने 8 जुलाई 1945 मे पिपुल्स एज्युकेशन सोसायटी का निर्माण किया तब उनके ध्येय एवं उद्देश्य को निश्चित किया गया।

1 बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक लोकतन्त्र की प्रस्थापना हो।
2 कल्याणकारी धर्म और सत्य की खोज करना।
3 विद्यार्थियों मे विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील और नैतिकता का विकास करना।
4 जीवन के सत्य पर संशोधन करना।
5 दुनिया के मानव जिन समस्याओं से दुःखी है उन दुःखों को निवारण करना।

भारत के कोई भी स्कूल व विश्वविद्यालय उपरोक्त ध्येय व उद्देश्य को साकार नहीं कर रहा है इसलिए हमे वर्तमान शिक्षा नीति को बदलने के लिए कार्य की राष्ट्रीय नीति उद्देश्य एवं व्यवस्था को तय करना होगा। अम्बेडकर के अनुसार सम्पूर्ण राष्ट्र की अक्षरशिक्षा प्राथमिक शिक्षा को सार्वत्रिक प्रचार प्रसार है। इसलिए शिक्षा की समानता होना चाहिए। साथ ही भारत मे बौद्धिक, सामाजिक एवं लोकतन्त्र का निर्माण हो, ऐसी शिक्षा की जरूरत है।

प्रश्न 4 बाबा साहब डॉ अम्बेडकर के अनुसार संगठन का क्या महत्व है ?

उत्तर – संगठन आन्दोलन की सफलता के लिए साधन है। यदि समाज को स्वयं को मुक्त करना है तो उसे संगठित प्रयास करना होगा। उसके बिना सफलता नहीं मिल सकती है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए उनके सामने आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए अच्छी तरह संगठित होना होगा। संगठन विचारधारा के आधार पर निर्मित करना होगा। जैसा कि बताया गया है उसके अनुसार उसके सिद्धान्त, लक्ष्य, आन्दोलन स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए।

प्रश्नावली 02 पृष्ठ संख्या 02

[illegible]

प्रश्नावली 02 पृष्ठ संख्या 03

प्रश्नावली 02 पृष्ठ संख्या 04

प्रश्नावली 02 पृष्ठ संख्या 05

आधार पर अपना मुकाम हासिल किया है, वे उनसे भिन्न भी है। आवश्यकता इस बात की भी है कि वे संविधान में प्रदत्त अधिकारों को जाने और अपने जीवन में उतारे तभी डॉ. अम्बेडकर के विचार और कृत्यों के द्वारा एकरूप, समतामूलक और समान समाज की स्थापना हो सकेगी।

प्रश्न 8. बाबा साहब डॉ अम्बेडकर के सामाजिक आंदोलन से तीन बड़ी उपलब्धीयां का उल्लेख करें।

उत्तर :– वैसे तो बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के आंदोलन पूरा समाज प्रभावित हुआ है लेकिन बाबा साहब के आंदोलन से समाज, देश व दुनिया को तीन बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हुई है।

1 भारत का संविधान
2 बुद्ध का धम्म
3 वैश्विक विचारधारा

यह तीन उपलब्धियाँ बाबा साहब के विचारों से हमें मिली है जिसका फायदा हमारे समाज, देश व दुनिया को मिला है। संविधान से हमें हमारे हक व अधिकार मिले तो बुद्ध के धम्म से हमें अंधविश्वास, पाखण्डवाद व शोषण से मुक्ति मिली वही मानवता का धम्म मिला जिससे दुनिया मे हमारी एक अलग पहचान मिली। जिस धम्म को पाखण्डियो ने दबा दिया था बाबा साहब डॉ अम्बेडकर ने पुन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जिन्दा कर देश और दुनिया मे धम्म का मजबूत खम्भा गाड़ दिया। दिसम्बर 1954 में बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर ने बर्मा (रंगुन) से बुद्धिष्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से भारत आए थे बाबा साहब को पत्रकारो ने पूछा की डॉ. अम्बेडकर आप यहा बुद्ध की बात करते है जिस पेड़ की पत्तियां व डालियां सुख गई है बाबा साहब ने अपने जवाब मे कहा कि पत्तियां व टहनियाँ सुख गई है लेकिन जड़ अभी भी हरी है इसलिए इसमें पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जायेगा। इस तरह बाबा साहब डॉ अम्बेडकर ने बुद्ध के धम्म को जिंदा करके मानवता की मिसाल पेश की है बाबा साहब की वैश्विक विचारधारा के कारण ही दुनिया उन्हे सिम्बल ऑफ नोलेज कहते है। लोगों का मानना है कि दुनिया का कल्याण अम्बेडकर के मानवतावादी विचार एवं बुद्ध के धम्म से ही होगा इसलिए दुनिया अम्बेडकरवाद व बुद्ध के धम्म की राह देख रही है।

नोट संदर्भ

1 पिमान विजय मानकर राष्ट्रीय आर्गनाइजर एम्बस के भाषण एवं अम्बेडकरवाद को सफल करने की राष्ट्रीय योजना एवं एम्बस क्या है – एक परिचय
2. बाबा साहब के साहित्य एवं शोध ग्रंथ
3. बाबा साहब के सम्पूर्ण लेखन एवं भाषण से संबंधित आलेख।

घोषणा– मैं इस प्रश्नावली को साक्षात्कार, ऑनलाइन सर्वे या फील्ड रिसर्च में उपयोग करने की तथा आवश्यकतानुसार प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय अथवा वर्णनात्मक रूप मे बदलने की सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक-- 8 फरवरी 2026

हस्ताक्षर उत्तरदाता
नाम - ओम प्रकाश कांसोटिया

-6-

प्रश्नावली 02 पृष्ठ संख्या 06

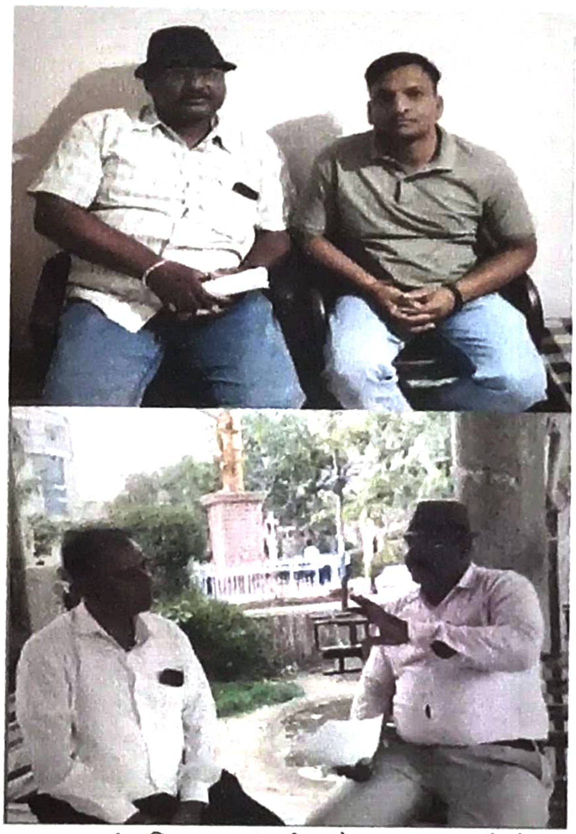

श्री राजुराम सुंवासिया एवं श्री ओमप्रकाश कॉसोटिया (उत्तरदाता) के साथ

हमारे प्राण – बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

– सादर नमन –